सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड।

वी.

सी. आई. टी, दिल्ली

(2015 की सिविल अपील सं. 6964-6965)

14 नवंबर, 2022

[सूर्या कान्ट और एम. एम. सुंदरेश, जे. जे.]

आय कर अधिनियम, 1961: एस. 194 एच-कमीशन और दलाली पर स्रोत पर कर कटौती-एस की व्याख्या। 194 एच-ऑन

तथ्यों, ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से अपनी उड़ान टिकट बेचने वाली निर्धारिती एयरलाइंस-यात्री बिक्री एजेंसी समझौतों द्वारा नियंत्रित एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंटों के बीच व्यवस्था, जिसमें एजेंट मानक आयोग के रूप में आधार किराए के 7 प्रतिशत के हकदार हैं, हालांकि, वे एयरलाइन द्वारा मांगे गए शुद्ध किराए से अधिक कीमत निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र थे और अतिरिक्त राशि जो ट्रैवल एजेंटों ने शुद्ध किराए के ऊपर और ऊपर ली थी जिसे ट्रैवल एजेंटों द्वारा उद्धृत किया गया था।

एजेंट की अपनी आय के रूप में एयरलाइंस-एजेंट द्वारा अर्जित आय के लक्षण वर्णन से संबंधित मुद्दा 7 प्रतिशत का मानक कमीशन और यदि यह अतिरिक्त हिस्सा टी. डी. एस. आवश्यकताओं के अधीन होगा। 194 एच-उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निर्धारकों को टी. डी. एस. में कटौती करने की आवश्यकता होती है। 194 एच, पर

टी. डी. एस. की अपेक्षित राशि को घटाने में करदाताओं की विफलता के परिणामस्वरूप, विमान टिकट बेचने के लिए निर्धारिती द्वारा सौंपे गए यात्रा एजेंटों को उपार्जित पूरक आयोग, वे

घोषित किया गया था "चूक में निर्धारिती" यू / s.201 निर्दिष्ट मानक कमीशन के अलावा ट्रैवल एजेंट के पूरक कमीशन से टी. डी. एस. में 7 प्रतिशत की कटौती नहीं करने के लिए और इस प्रकार,

ब्याज और जुर्माने के भुगतान के अधीन होगा। 201 (1 ए) और 271 सी-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः पार्टियों के बीच अनुबंध की शर्तों में प्रकट इरादे एक प्रमुख एजेंट संबंध के अस्तित्व को इंगित करते हैं जैसा कि परिभाषित किया गया है अनुबंध अधिनियम का s.182,

आयोग की परिभाषा यू/एस। 194 एच आकर्षित होता है और टी. डी. एस. काटने की आवश्यकता उत्पन्न होती है-विमानन कंपनियों के नियंत्रण में कमी

यदि ट्रैवल एजेंटों द्वारा नेट फेयर से अधिक और उससे अधिक वास्तविक किराया लिया जाता है, तो आकलनकर्ताओं के लिए उनकी देयता से बचने के लिए कानूनी आधार नहीं बन सकता है-ट्रैवल एजेंटों के लिए पूरक आयोग का अधिग्रहण पीएसए के तहत वास्तविक मूलधन-एजेंट संबंध के लिए एक सहायक है-एक एजेंट द्वारा प्राप्त आकस्मिक लाभ।

[2022] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिनका मूलधन द्वारा उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों के साथ एक उचित रूप से करीबी संबंध है, उन्हें संबंध के दायरे में आना चाहिए-इस प्रकार, एजेंट अतिरिक्त राशि जो ट्रैवल एजेंट नेट फेयर के ऊपर और उससे अधिक लेते हैं, टीडीएस की कटौती के लिए पूरक कमीशन के दायरे में आता है-हालांकि, ट्रैवल एजेंट पहले ही पूरक आयोग पर आयकर का भुगतान कर चुके हैं, इसकी आगे कोई वसूली नहीं हो सकती है।

निर्धारिती द्वारा देय टी. डी. एस. में कमी-हालाँकि, ब्याज यू/एस. द्वारा लगाया जा सकता है। 201 (1क) टी. डी. एस. काटने में विफलता के मामले में उनके द्वारा चूक की तारीख से आयकर के भुगतान की तारीख तक

ट्रैवल एजेंट-एसएस। 201 , 201 (1ए), 271 सी-अनुबंध अधिनियम, 1872-एस। 182 .

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 एच का स्पष्टीकरण (i) कानूनी संबंधों की प्रकृति पर प्रकाश डालता है जो "कमीशन" के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए उनके बीच भुगतान के लिए दो संस्थाओं के बीच मौजूद है। नतीजतन, प्रयास यह निर्धारित करने का होना चाहिए कि क्या ट्रैवल एजेंट उड़ान टिकट बेचने की प्रक्रिया के दौरान एयरलाइनों की ओर से काम कर रहे थे। द.

निर्धारिती इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि प्रधान-अभिकर्ता संबंध

मानक आयोग के भुगतान के दौरान अस्तित्व में था। द.

ग्राहक को बेचा जाता था और जिसके लिए ट्रैवल एजेंटों ने ग्राहक द्वारा निर्धारित शुद्ध किराए के अलावा कुछ राशि अर्जित की थी। मूल्यांकनकर्ता। [पैरा 20] [20-जी-एच; 21-ए-बी]

1.2 यात्री बिक्री एजेंसी समझौते-पी. एस. ए. पर करीब से नज़र डालने पर, ऐसे कई हिस्से हैं जो स्पष्ट हो जाते हैं।

समझौते में प्रवेश करते समय पक्षों के इरादे। एजेंसी के अनुबंध के कई तत्व इन खंडों और पाठों से संतुष्ट होते हैं। ट्रैवल एजेंटों द्वारा की गई प्रत्येक कार्रवाई हवाई वाहक की ओर से होती है और वे जो सेवाएं प्रदान करते हैं, वे स्पष्ट पूर्व प्राधिकरण के साथ होती हैं। एयरलाइन भी क्षतिपूर्ति करती है।

की वास्तविक सेवाओं में किसी भी कमी के लिए यात्रा एजेंट

परिवहन, और कोई भी जुड़ी हुई सहायक सेवाएं, जैसा कि यह है

पहला जो वास्तव में यात्रा दस्तावेजों पर अधिकार रखता है और अंतिम ग्राहक को प्रदान की जाने वाली वास्तविक सेवाओं के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, एयरलाइन की जिम्मेदारी सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड की है।

पी. एस. ए. के तहत किए गए कार्यों के लिए ट्रैवल एजेंट को पूर्ण और अंतिम मुआवजा प्रदान करें। [पैरा 29,31] [26-एफ-जी]

1.3 अप्रतिरोध्य निष्कर्ष यह है कि अनुबंध एक ऐसी एजेंसी है जो इसके चरणों के संदर्भ में अंतर नहीं करती है

उड़ान टिकटों की बिक्री में शामिल लेनदेन। जबकि मूल्यांकनकर्ताओं ने प्रधान-अभिकर्ता संबंध के अस्तित्व को आसानी से स्वीकार कर लिया था, उनकी घबराहट सौदे के तथाकथित दूसरे अंग पर निर्देशित की गई थी जो विशेष रूप से अभिकर्ता और ग्राहक के बीच है। हालाँकि, अग्रिम प्रस्तुतियाँ स्पष्ट रूप से पी. एस. ए. के खाली शब्दों द्वारा समर्थित नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में सही कहा कि अभिकर्ता और खरीदार के बीच व्यवस्था एक अलग और विशिष्ट व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह केवल पी. एस. ए. के अनुसार की गई गतिविधियों के पैकेज का हिस्सा है। [पैरा 32] [26-एच; 27-ए-बी]

1.4 आई. टी. अधिनियम की धारा 194 एच प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भुगतान के बीच अंतर नहीं करती है। दोनों स्पष्टीकरण (i) के अंतर्गत आते हैं -

जिसे "आयोग" कहा जा सकता है, उसे वर्गीकृत करने का प्रावधान। इसलिए, यदि धारा 194 एच के दायरे को व्यापक तरीके से देखा जाता है, तो भुगतान के सटीक स्रोत के तथ्य का टीडीएस की कटौती की आवश्यकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि उपभोक्ता से उत्पन्न अप्रत्यक्ष भुगतान पर भी, आई. टी. अधिनियम के तहत निर्धारिती उत्तरदायी रहेंगे। नतीजतन, राशि के लिए उत्पत्ति के बिंदु के बारे में एयरलाइनों का विवाद आईटी अधिनियम की धारा 194 एच की प्रयोज्यता को प्रभावित नहीं करता है। अगला मुद्दा व्यावहारिकता के बारे में उठाया गया था।

और कटौती करने की व्यवहार्यता, इस बात की परवाह किए बिना कि क्या धारा 194 एच, सिद्धांत रूप में, ट्रैवल एजेंट को अप्रत्यक्ष भुगतान को कवर कर सकती है। आकलनकर्ताओं ने बताया है कि ट्रैवल एजेंट वास्तविक किराया निर्धारित करने में अपनी इच्छा से काम करता है जिसके लिए उड़ान टिकट बेचे जाते हैं, और इसके एक लक्षण के रूप में, एयरलाइन को खुद इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कितना है।

इसने अपने लिए पूरक आयोग तैयार किया है। [पैरा 34 36] [27-डी-ई; 28-बी-ई] 1.5 एयरलाइंस कैसे बिलिंग और सेटलमेंट प्लान-बी. एस. पी. का उपयोग करके अर्जित राशि का पता लगा सकती हैं।

पूरक आयोग और तदनुसार टी. डी. एस. की कटौती एक आंतरिक तंत्र है जो धारा [2022] 9 एस. सी. आर. के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करता है।

194 आई. टी. अधिनियम का एच. इसके अलावा, ट्रैवल एजेंटों द्वारा लिए गए वास्तविक किराए पर विमानन कंपनियों के नियंत्रण की कमी, मूल्यांकनकर्ताओं के लिए अपने दायित्व से बचने का कानूनी आधार नहीं बन सकती है। एजेंसी के अनुबंध में एजेंट के कार्यों की बारीकियों पर नियंत्रण नहीं होता है। निरीक्षण का ऐसा स्तर अधिक निकटता से एक स्वामी-सेवक संबंध के समान होगा। एक प्रमुख-अभिकर्ता संबंध में, यह बाद वाले के लिए पर्याप्त है अनुबंध के तहत जिम्मेदारियों और कर्तव्यों और उन्हें पूरा करने के लिए कुछ दिशानिर्देशों के बारे में सूचित किया गया। एक एजेंट निस्संदेह विवेक का एक बड़ा स्तर रखता है कि कैसे

वांछित परिणाम प्राप्त करें। यह तथ्य कि ट्रैवल एजेंट के पास एक वास्तविक किराया निर्धारित करने का विवेकाधिकार है जो शुद्ध किराए से ऊपर है, दोनों पक्षों के बीच संबंधों की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। अभिकरण का अनुबंध अभिकर्ता को अपनी इच्छा से कार्य करने की अनुमति देता है बशर्ते वह अभिकरण अनुबंध के उद्देश्य और प्रधान के हितों का उल्लंघन न करे। ट्रैवल एजेंटों के लिए पूरक आयोग की वृद्धि पी. एस. ए. के तहत वास्तविक प्रधान-एजेंट संबंध के लिए एक सहायक है। इस तरह की वाणिज्यिक व्यवस्था में, एक एजेंट द्वारा प्राप्त लाभ आकस्मिक है और इसके साथ एक उचित रूप से करीबी संबंध है

हवाई परिवहन और सहायक सेवाओं की बिक्री के अनुसार एक एजेंट द्वारा एकत्र किया गया संग्रह वाहक के लिए एक प्रत्ययी क्षमता में तब तक रखा जाता है जब तक कि एक उचित लेखांकन नहीं किया जाता है। वास्तविक किराया पर नियंत्रण की कमी के बावजूद, अनुबंध में निश्चित रूप से कहा गया है कि एजेंट द्वारा प्राप्त "सभी धन" की संपत्ति के रूप में आयोजित की जाती है। जब तक उन्हें बी. एस. पी. पर दर्ज नहीं किया जाता है और ठीक से मापा नहीं जाता है, तब तक हवाई वाहक। बी. एस. पी. एक अलग शीर्षक के तहत "पूरक आयोग" का सीमांकन करती है। इसलिए, एक बार जब आई. ए. टी. ए. बी. एस. पी. पर दिखाई गई संचित राशि का भुगतान कर देता है, तो निर्धारकों के लिए एजेंट द्वारा अर्जित इस अतिरिक्त आय पर टी. डी. एस. काटना संभव होगा, और धारा 194 एच के तहत घटाव के बाद जो कुछ भी बचा रहेगा, उसे स्वयं एजेंटों के लिए आय के रूप में गिना जाएगा। यह इस बिंदु पर है कि पी. एस. ए. के खंड 7.2 के अनुरूप पूरी तरह से और अंत में समझौता किया जाता है। [पैरा 43-47] [31-जी-एच; 32-बी-सी; 33-सी-ई, जी-एच] सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड।

1.6 किसी भी मामले में, यह देखते हुए कि पूरक आयोग के बारे में जानकारी विमानन कंपनियों के लिए उपलब्ध थी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि विमानन कंपनियां एजेंट द्वारा आय के उस अतिरिक्त हिस्से के संचय से जुड़ी आईटी अधिनियम के तहत देनदारियों से खुद को मुक्त नहीं कर सकती थीं। ये राशि उस लेन-देन के लिए आकस्मिक थी जिसके द्वारा उड़ान टिकट हवाई वाहक की ओर से बेचे गए थे और उनके लाभ के लिए थे। यह पुरानी कहावत कि किसी अनुबंध का एक पक्ष "अनुमोदन और खंडन दोनों" नहीं कर सकता है, इस तथ्यात्मक परिदृश्य के लिए उपयुक्त है। [पैरा 50] [35-बी]

1.7 एजेंसी के अनुबंध के दायरे में कानून की व्याख्या और अंतर के वर्गीकरण पर इसके परिणामी प्रभाव से

टी. डी. एस. की कटौती के लिए उत्तरदायी "कमीशन" के रूप में वास्तविक किराया और शुद्ध किराया के बीच, इस न्यायालय को निर्धारकों की दलीलों से विचलित नहीं होना पड़ता है। पी. एस. ए. की व्याख्या, अनुबंध अधिनियम की धारा 182 और आई. टी. अधिनियम की धारा 194 एच के चश्मे के माध्यम से, राजस्व द्वारा प्रदान की गई प्रतीत होती है सही स्थिति। इस प्रकार, एयरलाइनों और ट्रैवल एजेंटों के बीच संबंधों की प्रकृति पर विवादित फैसले में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष और पूरक आयोग पर टीडीएस की कटौती से जुड़ी देनदारी को बरकरार रखा जाता है। [पैरा 51] [35-सी-ई]

1.8 यदि आय का प्राप्तकर्ता जिस पर टी. डी. एस. की कटौती नहीं की गई है, भले ही वह इस तरह की कटौती के लिए उत्तरदायी था

आई. टी. अधिनियम ने पहले ही उस राशि को अपनी आय में शामिल कर लिया है और उसी पर करों का भुगतान किया है, अब टी. डी. एस. में कम गिरावट की वसूली के लिए निर्धारिती के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है। हालांकि, राजस्व के लिए धारा 201 (1 ए) के तहत टीडीएस की कटौती में चूक की तारीख और उस तारीख के बीच की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करने की अनुमति होगी, जिस दिन प्राप्तकर्ता ने वास्तव में उस राशि पर आयकर का भुगतान किया था, जिसके लिए ऐसी कटौती में कमी आई थी। पार्टियों के वकील इस तथ्य पर सहमत थे कि ट्रैवल एजेंट पहले ही उनके द्वारा अर्जित राशि पर कर का भुगतान कर चुके थे। राजस्व ने कहा कि टी. डी. एस. के भुगतान में चूक को विशुद्ध रूप से इस आधार पर माफ नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, हिंदुस्तान कोका कोला के मामले और एली लिली एंड कंपनी के मामले में निर्णय स्पष्ट रूप से टीडीएस में कमी की वसूली के लिए निर्धारिती एयरलाइनों को आगे बढ़ाने की उनकी क्षमता को बाधित करते हैं और उन्हें [2022] 9 एस. सी. आर. तक सीमित करते हैं।

ब्याज की राशि जो निर्धारिती इस मामले को बंद करने से पहले भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। इस प्रकार, अभिकर्ताओं द्वारा चूक की तारीख से करों के भुगतान की तारीख तक की अवधि के लिए देय ब्याज भुगतान के संदर्भ में इन बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए मामले को मूल्यांकन अधिकारी को वापस भेजना उचित समझा जाता है। इन मुद्दों की जांच का निराकरण चिंता का विषय है। आई. टी. अधिनियम की धारा 271 सी के तहत जुर्माना लगाना। निर्धारण अधिकारी ने शुरू में निर्देश दिया था कि दंड की कार्यवाही

टी. डी. एस. के घटाव में चूक के लिए निर्धारणकर्ताओं के खिलाफ शुरू किया गया था, लेकिन इस प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, जबकि विमानन कंपनियां और राजस्व टी. डी. एस. के प्राथमिक मुद्दे को चुनौती दे रहे थे।

जो अन्यथा चूक करने वाले निर्धारिती को शुल्क लगाने से छूट देता है कुछ परिस्थितियों में दंड। धारा 273 बी के तहत "उचित कारण" के दायरे के लिए जांच की आवश्यकता है।

इस निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है कि निर्धारण अधिकारी को मूल्यांकनकर्ताओं के खिलाफ लगाए जाने वाले संभावित दंड की गणना करने की भी आवश्यकता है। [पैरा 56-60] [37-F-G; 38-A-F; 39-F]

1.9 टी. डी. एस. में कटौती करने के लिए एक एयरलाइन का दायित्व

जब पहली बार ए. वाई. 2001 02 में विवाद उत्पन्न हुआ था, तब इस न्यायालय द्वारा पूरक आयोग पर निर्णय नहीं लिया गया था। जबकि राजस्व के वकील ने अधिसूचित किया है कि विभिन्न विमानन कंपनियां उस समय धारा 194 एच के तहत टीडीएस काट रही थीं, इसका मतलब यह नहीं है कि कानून की स्थिति तय हो गई थी। बल्कि, ऐसा प्रतीत होता है कि जबकि हवाई वाहक के एक समूह ने इसके तहत कार्य किया

यह धारणा कि पूरक आयोग आई. टी. अधिनियम के प्रावधानों के दायरे में आएगा, एक अन्य समूह ने इसके विपरीत विचार रखा। मूल्यांकनकर्ता बाद की श्रेणी से संबंधित हैं। इसके अलावा, विरोधाभासी घोषणाएँ थीं

आने वाले वर्षों में विभिन्न उच्च न्यायालय जो स्पष्ट रूप से सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड को उजागर करते हैं।

धारा 194 एच के अनुपूरक आयोग पर लागू होने की संभावना से उत्पन्न वास्तविक और प्रामाणिक कानूनी पहेली। [पैरा 61] [40-ई-जी]

1.10 आई. टी. अधिनियम की धारा 194 एच के अनुप्रयोग के संदर्भ में पूरक आयोग द्वारा अर्जित राशि

ट्रैवल एजेंट स्पष्ट रूप से राजस्व के पक्ष में है। अनुभाग

194 एच को अनुबंध अधिनियम की धारा 182 के साथ पढ़ा जाना है। यदि दो पक्षों के बीच संबंध उनके बीच से निकाला जाता है

उनके बीच अनुबंध की शर्तों में प्रकट इरादे एक प्रमुख-एजेंट संबंध के अस्तित्व को इंगित करते हैं अनुबंध अधिनियम की धारा 182 के तहत परिभाषित, फिर आईटी अधिनियम की धारा 194 एच के तहत "कमीशन" की परिभाषा है

आईटी अधिनियम के अध्याय XVII-B के तहत उनके अनिवार्य कर्तव्य। [पैरा 63] [41-बी-डी] 1.11 पक्षों के बीच आम सहमति के आलोक में कि ट्रैवल एजेंट पहले ही पूरक पर आयकर का भुगतान कर चुके हैं

इससे, निर्धारिती द्वारा देय टी. डी. एस. में कमी की आगे कोई वसूली नहीं हो सकती है। हालांकि, आईटी अधिनियम की धारा 201 (1 ए) के तहत ब्याज लगाया जा सकता है। मामले के इस पहलू के उपसंहार के रूप में, निर्धारण अधिकारी को गणना करने का निर्देश दिया जाता है टी. डी. एस. में कटौती करने में विफलता के मामले में उनके द्वारा चूक की तारीख से लेकर ट्रैवल एजेंटों द्वारा आयकर के भुगतान की तारीख तक की अवधि के लिए निर्धारिती द्वारा देय ब्याज। यह निर्धारण अधिकारी के लिए खुला होगा कि वह इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक किसी भी विवरण पर गौर करे, जिसमें इस बात का सत्यापन भी शामिल है कि क्या

वास्तव में एजेंटों द्वारा उन राशियों पर कर का भुगतान किया जाता था जिनसे टी. डी. एस. घटाया जाना था। यह देखते हुए कि कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया गया था, कुछ विसंगतियां हो सकती हैं जिन्हें दूर करने के लिए निर्धारण अधिकारी सबसे अच्छी स्थिति में हैं। इस स्थिति में कि किसी भी एजेंट ने अभी तक पूरक आयोग पर करों का भुगतान नहीं किया है, राजस्व को [2022] 9 एस. सी. आर. की वसूली के लिए आई. टी. अधिनियम के तहत कानून के अनुसार आगे बढ़ने की स्वतंत्रता होगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. टी. अधिनियम की धारा 194 एच के तहत उनके दायित्व के संदर्भ में गुण-दोष पर, यह उनके पक्ष में माना जाता है कि स्पष्ट भुगतान के कारण मामला राजस्व तटस्थ हो गया है। ट्रैवल एजेंटों द्वारा विचाराधीन राशि पर आयकर। निर्धारण अधिकारी को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार देय ब्याज निर्धारित करने के कार्य को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया जाता है। [पैरा 64-66] [41-E-H; 42-A-C]

सी. आई. टी वी. कतर एयरवेज 2009 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 2179 -

अस्वीकृत।

हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड वी. आयकर आयुक्त (2007) 8 एस. सी. सी. 463: [2007] 8 एस. सी. आर. 1046; अहमदाबाद डाक टिकट विक्रेता गधा। वी. भारत संघ 2002 एस. सी. सी. ऑनलाइन गुजरात 135; निदेशक, प्रसार भारती बनाम। सीआईटी (2018) 7 एससीसी 800 [2018] 3 एससीआर 287;

लक्ष्मीनारायण राम गोपाल एंड संस लिमिटेड बनाम द. हैदराबाद सरकार (1955) 1 एस. सी. आर. 393; गॉर्डन वुड्रॉफ एंड कंपनी बनाम। शेख एम. ए. माजिद एंड कंपनी [1966] सप्लीमेंट। एस. सी. आर. 1; खेडुत सहकारी जिनिंग एंड प्रेसिंग सोसाइटी बनाम। गुजरात राज्य (1971) 3 एससीसी 480: [1972] 1 एस. सी. आर. 714; भोपाल शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम एसटीओ, भोपाल (1977) 3 एससीसी 147: [1977] 3 एससीआर 578; अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूर्स पी. लिमिटेड v. भारत संघ 2003 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 1027; कमर शफी तैयबजी बनाम। द.

आयुक्त, अतिरिक्त लाभ कर, हैदराबाद (1960) 3

एस. सी. आर. 546; नागुबाई अम्मल और अन्य। वी. बी. शमा राव और अन्य। [1956] 1 एस. सी. आर. 451; आयकर आयुक्त बनाम. एली लिली एंड कंपनी (भारत) (2009) 15 एससीसी 1: [2009] 5 एस. सी. आर. 20-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2007] 8 एससीआर 1046

पैरा

17 (viii)

संदर्भित किया गया है

[2018] 3 एससीआर 287

पैरा

18 (वी)

संदर्भित किया गया है

[1955] 1 एससीआर 393

संदर्भित किया गया है

पैरा

22

[1966] पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 23 सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड। वी. सी. आई. टी, दिल्ली

[1972] 1 एससीआर 714

पैरा

24

संदर्भित किया गया है

[1977] 3 एससीआर 578

संदर्भित किया गया है

पैरा

25

[1960] 3 एससीआर 546

संदर्भित किया गया है

पैरा

44

[1956] 1 एससीआर 451

संदर्भित किया गया है

पैरा

50

[2009] 5 एससीआर 20

संदर्भित किया गया है

पैरा

55

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 6964

6965 2015 से।

उच्च न्यायालय के 13.04.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2005 के आई. टी. ए. No.306 और 2006 के आई. टी. ए. संख्या 123 में नई दिल्ली में।

के साथ सिविल अपील सं। 6966-6967 और 2015 का 6968।

विक्रमजीत बनर्जी, एएसजी, सी. एस. अग्रवाल, अरिजीत प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता। ,

भार्गव वी. देसाई, अनिल मखीजा, सुश्री चारू मोदी, उमाशंकर, जगमोहन, रुपेश कुमार, सुश्री गार्गी खन्ना, शशांक बाजपेयी, उदय खन्ना, संतोष कुमार, प्रशांत सिंह, सिद्धार्थ सिन्हा, तथागट शर्मा, शिवम सिंघानिया, रमन यादव, राज बहादुर यादव,

श्रीमती अनिल कटियार, विशाल कालरा, सौम्येंद्र तोमर, सुश्री स्निग्धा गौतम, शेखर प्रीत झा, विनय गर्ग, उपस्थित पक्षों के वकील।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सूर्या कान्ट, जे।

1. हमारे विचार के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होता है वह संबंधित है -

वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा लागू आयकर अधिनियम, 1961 ("आईटी अधिनियम") की धारा 194 एच की व्याख्या 01.04.2000 से प्रभावी है। इस प्रावधान के तहत धारा के तहत "कमीशन" या "ब्रोकरेज" की परिभाषा के तहत आने वाले भुगतानों से 10 प्रतिशत पर स्रोत पर कर ("टीडीएस") और अधिभार की कटौती की आवश्यकता है।

A. द एयरलाइन इंडस्ट्री

2. संबंधित अवधि के दौरान विमानन उद्योग के भीतर, आधार

हवाई टिकटों के लिए किराया 1 अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ("आई. ए. टी. ए".) द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसमें विमानन कंपनियों को आधार किराए से कम शुद्ध किराए पर अपने टिकट बेचने के लिए विवेक प्रदान किया गया था, लेकिन अधिक नहीं। 2 संक्षेप में, IATA सेट

1 " आधार किराया "

" शुद्ध

किराया "[2022] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एयरलाइंस अपने ग्राहकों से कितना शुल्क ले सकती हैं, इसकी अधिकतम कीमत। यह उद्योग के कामकाज की देखरेख करने की आई. ए. टी. ए. की समग्र जिम्मेदारी का हिस्सा था।

3. विमानन कंपनियों को मंजूरी के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशक ("डीजीसीए") को किराए की सूची भी प्रदान करनी थी। ये हैं कीमतें जिन पर डी. जी. सी. ए. द्वारा रबर की मुहर लगाई गई थी, वे आई. ए. टी. ए. द्वारा निर्धारित आधार किराए के बराबर या उससे कम हो सकते हैं। टिकटों के लिए मानक आर्थिक राशि निर्धारित करने के साथ-साथ, आई. ए. टी. ए. यात्रा दस्तावेजों को बेचने और बेचने के लिए एयरलाइनों की ओर से काम करने वाले ट्रैवल एजेंटों को खाली टिकट प्रदान करेगा। एयरलाइनों और ट्रैवल एजेंटों के बीच व्यवस्था यात्री बिक्री एजेंसी समझौतों ("पीएसए") द्वारा नियंत्रित की जाएगी। इन अनुबंधों के लिए मसौदा टेम्पलेट आई. ए. टी. ए. द्वारा तैयार किए जाते हैं और इस क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न ट्रैवल एजेंटों द्वारा दर्ज किए जाते हैं।

धारा 194 एच के तहत 10 प्रतिशत प्लस अधिभार पर टीडीएस काटने के लिए एयरलाइन की ओर से। जिस राशि पर टिकट बेचे गए थे, उसका विवरण ट्रैवल एजेंटों द्वारा एक संगठन को भेजा जाएगा जिसे कहा जाता है बिलिंग एंड सेटलमेंट प्लान ("बी. एस. पी".)। बी. एस. पी. आई. ए. टी. ए. के तत्वावधान में कार्य करती है और अन्य बातों के साथ-साथ भुगतान का प्रबंधन करती है और एजेंटों और एयरलाइनों के लिए उड़ान टिकटों की बिक्री से संबंधित विवरणों की जांच करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है।

अभिकर्ताओं को देय कमीशन। इस प्रणाली ने प्रत्येक एजेंट द्वारा टिकटों की बिक्री के बाद विभिन्न एयरलाइनों को देय राशि को समेकित किया। बी. एस. पी. में संचित कुल राशि को आई. ए. टी. ए. द्वारा एकल वित्तीय लेनदेन में प्रत्येक विमान वाहक को प्रेषित किया जाएगा ताकि प्रक्रिया को सुचारू बनाया जा सके और समय के साथ कई भुगतान करने की आवश्यकता को रोका जा सके। 3 01.01.2002 से पहले, मानक आयोग का भुगतान 9 प्रतिशत की दर से किया जाता था।

6. इस ढांचे के भीतर, एयरलाइनों का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा।

वास्तविक किराया जिस पर ट्रैवल एजेंट टिकट बेचेंगे। 4 जबकि अधिकतम सीमा मूल्य का उल्लंघन नहीं किया जा सकता था, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एजेंटों को आई. ए. टी. ए. द्वारा निर्धारित आधार किराए से कम कीमत निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन फिर भी स्वयं एयरलाइन द्वारा मांगे गए शुद्ध किराए से अधिक होगी। इसलिए, ट्रैवल एजेंटों द्वारा एयरलाइन द्वारा उद्धृत शुद्ध किराए के अलावा जो अतिरिक्त राशि ली जाती है, उसे एजेंट द्वारा अपनी आय के रूप में रखा जाएगा।

7. इस तरह का लेन-देन कैसे किया जाएगा, इसका एक उदाहरण

और संबंधित पक्षों द्वारा किए गए मौद्रिक लाभ नीचे दिखाए गए हैं:

वास्तविक

मानक

पूर

क

के लिए आधार किराया

शुद्ध किराया

आयोग

आयोग

(द्वारा नियत किया गया

सिंगापुर

किराया

दिल्ली (द्वारा स्थापित)

(7 % में से

(

वास्तविक किराया -

द.

(द्वारा नियत किया गया

एयरलाइन)

आई. ए. टी. ए.)

आधार किराया)

शुद्ध किराया)

द.

यात्रा करें।

एजेंट)

7 % से रु. 1

रु.

80,000

रु. 1 लाख।

रु.

रु.

लाख = रु।

60,000

80,000

60,000 =

रु.

7,000

20,000

छत

की आय

अतिरिक्त

रु.

आमदनी

में से

यात्रा

20,000

आ

य की

कीमत

ट्रैवल एजेंट

मूल्यांकनकर्ता

इसके बाद छोड़ दिया

एजेंट

भुगतान

नेट का

किराया

निर्धारिती

8. नेट फेयर के ऊपर ली जाने वाली यह सहायक राशि थी

बी. एस. पी. पर ट्रैवल एजेंट के हाथों में "पूरक आयोग" के रूप में चित्रित किया गया। इस प्रकार, इस मामले में निर्धारिती एयरलाइनों और राजस्व के बीच विवाद का केंद्र 7 प्रतिशत के मानक आयोग के अलावा एजेंट द्वारा अर्जित आय के लक्षण वर्णन में निहित है और क्या यह अतिरिक्त हिस्सा टीडीएस आवश्यकताओं के अधीन होगा। धारा 194 एच के तहत।

B. वास्तविक पृष्ठभूमि

9. दीवानी अपीलों का यह समूह पारित एक फैसले से उत्पन्न होता है

13.04.2009 दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थियों/राजस्व द्वारा अपील की अनुमति दी और अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ताओं/निर्धारणकर्ताओं को धारा 194 एच के तहत टीडीएस की कटौती करने की आवश्यकता थी।

4 " वास्तविक किराया "

22] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आयकर अधिनियम, 1961 ("आई. टी. अधिनियम"), अपीलकर्ताओं द्वारा एयरलाइन टिकट बेचने के लिए सौंपे गए यात्रा एजेंटों को उपार्जित पूरक आयोग पर। घटाव को पूरा करने में मूल्यांकनकर्ताओं की विफलता के परिणामस्वरूप टी. डी. एस. की अपेक्षित राशि में से, उन्हें धारा 201 के तहत "चूक में निर्धारिती" घोषित किया गया था और तदनुसार आईटी अधिनियम की धारा 201 (1 ए) और 271 सी के तहत ब्याज और दंड के भुगतान के अधीन होगा।

10. संबंधित मूल्यांकन वर्ष 2001-02 है। से प्रेरित

वित्त अधिनियम, 20015 द्वारा आई. टी. अधिनियम में धारा 194 एच को फिर से लागू करने के बाद राजस्व विभाग ने देश में परिचालन करने वाली विमानन कंपनियों को नोटिस भेजे। टी. डी. एस. की कटौती की आवश्यकताओं का पालन करना। आई. टी. अधिनियम के तहत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन में कुछ एयरलाइनों की ओर से कमियों का संदेह होने पर, राजस्व ने आई. टी. Act.6 की धारा 133 ए के तहत सर्वेक्षण किया। जांच के बाद, असेसी एयरलाइंस को कथित रूप से अपने संबंधित ट्रैवल एजेंटों को पूरक आयोग के रूप में कुछ राशि का भुगतान करते हुए पाया गया, जिस पर वाहक कथित टी. डी. एस. में कटौती करने में विफल रहे थे।

पूरक

छोटा

पतन

मूल्यांकनकर्ता

आयोग

टीडीएस की

कटौती

रु. 29,34,97,709

रु. 2,93,49,770

(नहीं।

सिंगापुर

अधिभार सहित)

एयरलाइंस

के. एल. एम रॉयल

रु. 179,00,49,410

रु.

18,25,85,040

डच एयरलाइंस

(अधिभार सहित)

रु.

4,71,67,688

ब्रिटिश एयरवेज

रु. 46,24,28,310

(अधिभार सहित)

5 73. कमीशन या दलाली की प्रकृति में भुगतान से स्रोत पर कर की कटौती के लिए एक नया प्रावधान शामिल करना।

73.1 कर आधार को व्यापक बनाने का एक प्रभावी तरीका स्रोत पर आयकर की कटौती का दायरा बढ़ाना है। कर के दायरे में अधिक लोगों को लाने के अलावा, यह सही आय की सूचना देने में भी मदद करता है। आय की एक वस्तु जिसे स्रोत पर आयकर की कटौती के दायरे में शामिल करने की आवश्यकता है, वह है कमीशन (धारा 194 डी में निर्दिष्ट बीमा कमीशन नहीं) और दलाली के माध्यम से आय। इसलिए अधिनियम ने कमीशन (धारा 194 डी में निर्दिष्ट बीमा कमीशन नहीं) और दलाली के माध्यम से आय से स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित एक नई धारा 194 एच को जोड़ा है।

6 [133 ए. सर्वेक्षण की शक्ति। (1) इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में कुछ भी निहित होने के बावजूद, एक आय-कर प्राधिकरण कर सकता है

(क) उसे सौंपे गए क्षेत्र की सीमा के भीतर कोई भी स्थान, या सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड।

वी. सी. आई. टी, दिल्ली

[सूर्या कान्ट, जे।]

11. राजस्व ने तर्क दिया कि ट्रैवल एजेंट काम कर रहे हैं

ए. वाई. 2001-02 के दौरान अपीलार्थियों की ओर से पूरक आयोग के रूप में उपरोक्त राशि अर्जित की गई थी।

जिस पर, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ("सीबीडीटी") द्वारा जारी 04.12.1991 के परिपत्र संख्या 619 के साथ पठित धारा 194 एच के अनुसार, निर्धारिती एयरलाइनों द्वारा टीडीएस काटा जाना था। पुनर्प्राप्ति के लिए कारण सूचनाएँ दिखाएँ टी. डी. एस. में कम गिरावट के बारे में प्रत्येक विमान वाहक को भेजा गया था। इसके बाद,

यह मानते हुए क्रमिक मूल्यांकन आदेश पारित किए गए कि पूरक आयोग से टी. डी. एस. की कटौती करने में विफलता के लिए विमानन कंपनियां आई. टी. अधिनियम 7 की धारा 201 के तहत चूक में निर्धारिती थीं और उनमें से प्रत्येक के संबंध में राजस्व द्वारा उठाई गई मांगों की पुष्टि की गई थी।

12. धारा के तहत अधिभार और ब्याज को जोड़ने के बाद

201 (1(क) राजस्व को देय होने के रूप में गणना की गई कुल राशि

यह थाः

अधिभार + ब्याज

निर्धारिती (देयता)

कुल राशि

सिंगापुर एयरलाइंस

रु. 58,700 +

रु. 3,19,21,694

(रु. 2,93,49,770)

रु. 21,13,224

रॉयल डच एयरलाइंस

रु. 20,50,11,620

रु. 2,24,26,580

(केवल ब्याज)

(रु. 18,25,85,040)

ब्रिटिश एयरवेज

रु. 60,08,391

रु. 5,31,76,079

(रु. 4,71,67,688)

(केवल ब्याज)

(ख) ऐसा कोई स्थान जिसके संबंध में वह अधिकारिता का प्रयोग करता है, [या] [(ग) ऐसा कोई स्थान जिसके संबंध में वह इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर प्राधिकारी द्वारा अधिकृत है, जिसे वह क्षेत्र सौंपा गया है जिसके भीतर ऐसा स्थान स्थित है या जो ऐसे स्थान पर कब्जा करने वाले किसी व्यक्ति के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है]

[जिस पर कोई व्यवसाय या पेशा या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए कोई गतिविधि की जाती है, चाहे वह स्थान धर्मार्थ उद्देश्य के लिए ऐसे व्यवसाय या पेशे या ऐसी गतिविधि का प्रमुख स्थान हो या नहीं, और किसी भी मालिक, न्यासी, कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उस समय और स्थान पर ऐसे व्यवसाय या पेशे या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए ऐसी गतिविधि को चलाने में किसी भी तरह से भाग ले सकता है या मदद कर सकता है।

7 201. कटौती या भुगतान करने में विफलता के परिणाम। — [(1) जहाँ कंपनी के प्रधान अधिकारी सहित कोई व्यक्ति-(क) जिससे इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी राशि की कटौती करने की अपेक्षा की जाती है; या

(ख) धारा 192 की उप-धारा (1क) में निर्दिष्ट, एक नियोक्ता होने के नाते, कटौती नहीं करता है, या भुगतान नहीं करता है, या इस तरह कटौती करने में विफल रहने के बाद, कर का पूरा या कोई हिस्सा, जैसा कि इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत आवश्यक है, का भुगतान करने में विफल रहता है, तो, ऐसा व्यक्ति, किसी भी अन्य परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे कर के संबंध में चूक करने वाला निर्धारिती समझा जाएगा।

22] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13. आई. टी. अधिनियम की धारा 271 सी के तहत सभी कर निर्धारकों के खिलाफ दंड की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया। मूल्यांकनकर्ता

मूल्यांकन आदेशों के खिलाफ आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपनी-अपनी अपील दायर करने के लिए आगे बढ़े। द.

आयुक्त (अपील) ने योग्यता के आधार पर अपीलों को खारिज करते हुए एक सामान्य आदेश पारित किया, लेकिन निर्देश दिया कि 01.06.2001 से पहले के किसी भी लेनदेन, जिस तारीख को धारा 194H लागू हुई थी, को टीडीएस की मांग से बाहर रखा जाएगा।

14. बाद में कर निर्धारकों ने आयकर विभाग से संपर्क किया

अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली ("आईटीएटी")। सिंगापुर एयरलाइंस के संबंध में 2015 के सीए नंबर 6964-6965 में, आई. टी. ए. टी. ने निर्धारिती की दलीलों को स्वीकार कर लिया और इसके खिलाफ पारित मूल्यांकन आदेश को दरकिनार कर दिया, जबकि यह अभिनिर्धारित किया किः

((i)

यात्रा अभिकर्ता द्वारा अधिक से अधिक प्राप्त की गई राशि

विमान वाहक को देय शुद्ध किराया उसके अपने हाथों में आय है और इसका भुगतान एयरलाइन के बजाय टिकट खरीदने वाले ग्राहक द्वारा किया जाता है।

((ख)

इसलिए "पूरक आयोग" आय थी।

टिकटों की बिक्री से अर्जित आय, न कि एक

निर्धारिती एयरलाइन से प्राप्त कमीशन;

एयरलाइन के पास खुद कीमत जानने का कोई तरीका नहीं होगा।

(iii)

जिस पर ट्रैवल एजेंट ने अंततः उड़ान टिकट बेच दिए; धारा 194 एच ने "प्रदान की गई सेवा" को मार्गदर्शक के रूप में संदर्भित किया

((iv)

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई भुगतान "कमीशन" के दायरे में आता है। इस मामले में, नेट फेयर के अलावा एजेंट द्वारा अर्जित राशि जुड़ी नहीं है।

निर्धारिती को दी गई किसी भी सेवा के लिए;

(v)

राजस्व ने गलती से और आधारहीन रूप से यह मान लिया था कि ट्रैवल एजेंट ने हर सौदे में नेट फेयर और आई. ए. टी. ए. बेस फेयर के बीच के पूरे अंतर को महसूस किया था और पूरे अंतर को एक पूरक आयोग के रूप में वर्णित किया था। धारा 194 एच को लागू नहीं किया जा सका

इस तरह के अनुमानों के आधार पर और वास्तविक आंकड़ों को साबित किए बिना संचालन।

15. आई. टी. ए. टी. ने उसी तर्क का पालन किया और शेष दीवानी अपीलों में मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा अपील की अनुमति दी।

सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड द्वारा व्यथित। वी. सी. आई. टी., दिल्ली [सूर्या कान्ट, जे.]

निर्धारण आदेशों के बाद, राजस्व अलग लाया गया

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष। उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने विभिन्न आयकर अपीलों को एक साथ जोड़ा, जिनमें से सभीएयरलाइन उद्योग के लिए कर देयता। आई. टी. अधिनियम की धारा 194 एच की व्यवहार्यता के संदर्भ में, खंड पीठ ने उलट दिया

आई. टी. ए. टी. ने मूल्यांकन आदेशों को बहाल किया। द. उच्च न्यायालय के फैसले के अंतिम भाग को निम्नानुसार संक्षिप्त किया जा सकता हैः

व्याख्या करते समय ध्यान में रखे जाने वाले सिद्धांत

((i)

आई. टी. अधिनियम की धारा 194 एच का अनुप्रयोग इस प्रकार हैः

प्रमुख-अभिकर्ता संबंध का अस्तित्व

ए।

निर्धारिती एयरलाइनों और यात्रा एजेंटों के बीच;

बी।

यात्रा एजेंटों को किए गए भुगतान की प्रकृति में

एक आयोग;

भुगतान सेवाओं के दौरान होना चाहिए।

सी.

माल की बिक्री या खरीद के लिए प्रदान किया गया;

यात्रा अभिकर्ता द्वारा प्राप्त आय

डी।

विस्तार को देखते हुए, मूल्यांकनकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो सकते हैं

धारा 194 एच का शब्दांकन;

टी. डी. एस. की कटौती कब की जानी है

ई.

राशि यात्रा के खातों में जमा की जाती है।

एजेंटों;

सभी मूल्यांकनकर्ताओं ने स्वीकार किया था कि एक प्रधान-अभिकर्ता

((ख)

उनके और ट्रैवल एजेंटों के बीच संबंध बने रहे। पी. एस. ए. की शर्तों ने यह भी संकेत दिया कि ग्राहकों की खरीद में एजेंटों की कार्रवाई की गई थी

एयरलाइंस और स्वतंत्र रूप से नहीं;

((ग) अतः अभिकर्ताओं द्वारा अर्जित अतिरिक्त आय थी -

समग्र प्रधान-अभिकर्ता के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ

संबंध और जिम्मेदारियाँ जो उन्हें सौंपी गई थीं

निर्धारकों द्वारा;

(iv) टिकटों में शीर्षक के संदर्भ में कोई स्थानांतरण नहीं था और

वे एयरलाइन कंपनियों की संपत्ति बने रहे लेन-देन के दौरान;

मूल्यांकनकर्ताओं को केवल कटौती करने की आवश्यकता थी

(v)

आई. टी. अधिनियम की धारा 194 एच के तहत जब कुल राशि [2022] 9 एस. सी. आर.

बी. एस. ए. द्वारा जमा किए गए थे।

16. उच्च न्यायालय ने "चूक में निर्धारिती" का टैग फिर से लागू कर दिया

धारा 201 के तहत और धारा 201 (1 ए) के तहत टी. डी. एस. की छोटी गिरावट पर ब्याज की वसूली। 8 पीड़ित निर्धारिती अब अपीलों के इस समूह में इस न्यायालय के समक्ष हैं।

ग. प्रस्तुतियाँ

17. श्री सी. एस. अग्रवाल, विद्वान वरिष्ठ वकील,

सीए संख्या में मूल्यांकनकर्ता। 6964-6965 2015 का, और सं। 6966-6967 2015 ने हमें निम्नलिखित आधारों पर विवादित निर्णय की गलतता की सराहना करने का जोरदार आग्रह किया हैः

(i) ट्रैवल एजेंट को बेचने के लिए टिकट प्रदान किए जाने के बाद, मूल्यांकनकर्ता का अब उस कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है जिस पर एजेंट अंततः उन्हें बेचता है। इस प्रकार, ट्रैवल एजेंट को जो पूरक कमीशन प्राप्त होता है, वह एजेंट और ग्राहक के बीच लेनदेन के कारण होता है। एयरलाइन ने

लेन-देन के इस चरण में शामिल नहीं है;

((ख)

दो अलग-अलग कानूनी लेनदेन होते हैं।

संबंध जो टिकट बेचने की प्रक्रिया के दौरान पैदा होते हैं। पहला हवाई वाहक और ट्रैवल एजेंट के बीच होता है जिसके लिए मानक कमीशन का भुगतान किया जाता है। दूसरा संबंध एजेंट और ग्राहक के बीच होता है जिसमें एजेंट टिकट को सबसे अधिक कीमत पर बेचने का प्रयास करता है।

अपनी आय को अधिकतम करने के लिए संभव कीमत;

(iii)

एयरलाइन उस अंतिम कीमत से अनजान है जिस पर एजेंट

ग्राहक को यात्रा दस्तावेज बेचता है। नेट फेयर के अलावा जो हिस्सा एजेंट के पास रहता है, वह एयरलाइन द्वारा बिल्कुल भी भुगतान नहीं किया जाता है, बल्कि सीधे एजेंट को भुगतान किया जाता है।

8 201. कटौती या भुगतान करने में विफलता के परिणाम। [(1क) उप-धारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई ऐसा व्यक्ति, प्रधान अधिकारी या कंपनी, जिसे उस उप-धारा में संदर्भित किया गया है, कर की पूरी या किसी भाग की कटौती नहीं करता है या कटौती करने के बाद इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत आवश्यक कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

((i) जिस तारीख को ऐसा कर कटौती योग्य था, उस तारीख से लेकर जिस तारीख को ऐसा कर काटा जाता है, उस तारीख तक हर महीने या महीने के किसी हिस्से के लिए एक प्रतिशत पर और (ii) जिस तारीख को ऐसा कर काटा गया था, उस तारीख से लेकर जिस तारीख को ऐसा कर वास्तव में भुगतान किया गया है, उस तारीख तक हर महीने या महीने के किसी हिस्से के लिए डेढ़ प्रतिशत पर और ऐसे ब्याज का भुगतान विवरण प्रस्तुत करने से पहले किया जाएगा।

धारा 200 की उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार।

इंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड। वी. सी. आई. टी., दिल्ली [सूर्या कान्ट, जे.]

टिकट के खरीदार द्वारा। इसलिए, टी. डी. एस. की कटौती का सवाल संभव नहीं हो सकता है क्योंकि आरंभ में निर्धारिती द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाता है। रिलायंस को सी. आई. टी. बनाम में बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक फैसले पर रखा गया था। कतर

एयरवेज। 9.

उच्च न्यायालय ने उद्योग के कार्य करने के तरीके के संदर्भ में विभिन्न तथ्यात्मक त्रुटियाँ की हैंः ए। पी. एस. ए. पर एयरलाइंस की ओर से आई. ए. टी. ए. द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं न कि स्वयं एयरलाइन द्वारा, जैसा कि डिवीजन द्वारा कहा गया है।

बेंच;

बी। उच्च न्यायालय ने राय दी कि मूल्यांकनकर्ताओं के पास उस कीमत के बारे में जानकारी होगी जिस पर ट्रैवल एजेंट बी. एस. पी. के माध्यम से टिकट बेचता है। हालाँकि, उच्च न्यायालय इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा कि बी. एस. पी. आई. ए. टी. ए. के नियंत्रण में है जो राशि को एकत्रित करता है और भेजता है।

एजेंट और ग्राहक के बीच प्रत्येक लेन-देन के बाद के बजाय निश्चित समय पर एयरलाइन को अंतिम बिल;

सी। उच्च न्यायालय पी. एस. ए. पर विचार करने में विफल रहा है जो स्पष्ट रूप से अभिकर्ता और ग्राहक के बीच लेनदेन को नियंत्रित नहीं करता है। अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 211 एजेंटों से अपने कर्तव्यों के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा करती है।

और संबंधित समझौते के तहत दायित्व। 10 1 0 तथापि, यदि पीएसए स्वयं इसके कुछ पहलुओं को संबोधित नहीं करता है

अभिकर्ता की कार्यप्रणाली, ये पहलू इसके अंतर्गत नहीं आ सकते हैं

प्रमुख-अभिकर्ता संबंध का दायरा, जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है

अनुबंध अधिनियम की धारा 182;

आई. टी. अधिनियम की धारा 194 एच "कमीशन" को "प्रदान की गई सेवाओं" के दौरान भुगतान के रूप में संदर्भित करती है। में

लेन-देन के दूसरे खंड में, स्पष्ट रूप से एजेंट द्वारा निर्धारिती को कोई सेवा प्रदान नहीं की जा रही है;

लाइन बम 2179

' प्रधानाचार्य के व्यवसाय के संचालन में कर्तव्य।

और निदेश प्रधान के अनुसार अपने प्रधान के व्यवसाय का संचालन करना, या, ऐसे किसी निर्देश के अभाव में, उस स्थान पर जहां अभिकर्ता व्यवसाय करता है, उसी प्रकार का व्यवसाय करने में प्रचलित है। जब

अभिकर्ता अन्यथा कार्य करता है, यदि कोई नुकसान होता है, तो वह अपने मूलधन को देता है, और यदि कोई लाभ प्राप्त होता है, तो उसे इसका लेखा देना चाहिए।

vi) लेन-देन में शामिल राशियों को एकत्रित करते समय बी. एस. पी. द्वारा "पूरक आयोग" नामकरण का उपयोग कोई कानूनी परिणाम नहीं है क्योंकि इस शब्दावली का उपयोग विशुद्ध रूप से सुविधा के लिए किया जाता है। यह

एजेंट द्वारा ग्राहक से अर्जित राशि को धारा के अर्थ में "कमीशन" के रूप में नहीं लेता है।

194 एच;

vii) अभिकर्ताओं द्वारा की गई कार्रवाई अपनी मर्जी से की जाती है और पी. एस. ए. की शर्तों के अंतर्गत नहीं आती है। इस तरह के परिदृश्य को सबसे उचित रूप से एक ऐसे एजेंट के रूप में वर्णित किया जाता है जो प्रिंसिपल की जानकारी के बिना अपने खाते पर काम करता है।

अनुबंध अधिनियम की धारा 216।

viii) ट्रैवल एजेंटों ने पहले ही कर विवरणी दाखिल कर दी थी जिसमें उनके द्वारा टिकटों की बिक्री से अर्जित राशि शामिल थी। इसलिए, इस अतिरिक्त हिस्से पर आयकर पहले ही लगाया जा चुका था।

आय और मामला राजस्व तटस्थ था। नतीजतन, इस स्तर पर कोई भी टीडीएस कटौती के लिए उत्तरदायी नहीं था क्योंकि यह एक ही राशि पर दो बार कर लगाने के समान होगा। हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड में इस अदालत का एक फैसला। लि. वी. इस संबंध में आयकर आयुक्त का हवाला दिया गया था।

सीए संख्या 6968 में निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों को अपनाया,

अरवल, पूरी तरह से।

8. राजस्व की ओर से, हमें सक्षम लोगों से लाभ हुआ है

श्री विक्रमजीत बनर्जी, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल,

विद्वान वकील के रूप में, श्री रुपेश कुमार। उन्होंने मना कर दिया

निम्नलिखित शर्तों में निर्धारितीः i) निर्धारणकर्ताओं ने जो अंतर आकर्षित करने का प्रयास किया है।

टिकट बिक्री प्रक्रिया के दो कथित चरणों के बीच कृत्रिम और अप्रासंगिक है। समग्र संबंध जो मौजूद है

एयरलाइन और ट्रैवल एजेंटों के बीच यह है कि

प्रधान-अभिकर्ता, और उच्च न्यायालय के समक्ष इस स्थिति को स्वीकार करने के बाद, इस स्तर पर कोई विपरीत स्थिति संभव नहीं थी;

8 एस. सी. सी. 463 सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड वी. सी. आई. टी, दिल्ली

[सूर्या कान्ट, जे।]

निर्धारिती और यात्रा एजेंटों के बीच पी. एस. ए.

((ख)

यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि टिकट बेचने के मामले में बाद वाले द्वारा की गई हर गतिविधि हवाई वाहक की ओर से थी, जो प्रमुख-एजेंट समीकरण को और मजबूत करती है।

(111 किसी भी समय टिकटों में शीर्षक एयरलाइन से एजेंटों को दो प्रधानाचार्यों के बीच संबंध में बदलने के लिए नहीं दिया गया था। प्रधान-अभिकर्ता के बीच का अंतर

धारा 194 एच के संदर्भ में दो प्रधानाचार्यों के बीच संबंधों की व्याख्या गुजरात उच्च न्यायालय ने की थी।

अहमदाबाद डाक टिकट विक्रेताओं की गांड में अदालत। वी. संघ का

भारत 1 2 और बाद में इस न्यायालय 1 3 द्वारा पुष्टि की गई;

(iv) मूल्यांकनकर्ताओं के पास मानक आयोग से पूरक आयोग राशि का वर्णन करने के लिए बी. एस. पी. द्वारा रखे गए आंकड़ों तक पहुंच होगी। इसके अलावा, प्रत्येक लेन-देन के बाद टीडीएस काटने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह पूरी तरह से व्यावहारिक और अनुमेय था

एयरलाइनों को एक साथ राशि एकत्र करने और महीने के अंत में एक व्यापक टीडीएस कटौती करने के लिए;

धारा 194 एच की भाषा समावेशी है और इसमें कोई भी शामिल है।

(v)

" एजेंट को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भुगतान। इसलिए, इसे "कमीशन" के दायरे में आने और टी. डी. एस. के अधीन होने के लिए निर्धारिती द्वारा सीधे ट्रैवल एजेंटों को भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। निदेशक, प्रसार में इस न्यायालय के एक फैसले पर रिलायंस को रखा गया था।

भारती बनाम. सीआईटी 1 4;

(vi) ट्रैवल एजेंटों के हाथों में आय के रूप में सहायक राशि पर कर लगाने से टी. डी. एस. की कटौती में विमानन कंपनियों द्वारा चूक को ठीक नहीं किया गया। अब हम प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

डी. विश्लेषण

डी. 1 आई. टी. की धारा 194 एच का हस्तक्षेप

2 एस. सी. सी. ऑनलाइन गुज 135 4) 16 एस. सी. सी. 114

19. हमारे विचार के लिए केंद्रीय बिंदु इस बात की व्याख्या में निहित है कि आईटी अधिनियम की धारा 194 एच के तहत "कमीशन" के बराबर क्या है।

निर्धारिती और राजस्व ने पी. एस. ए. के ढांचे के तहत एक एयरलाइन और एक ट्रैवल एजेंट के बीच संबंधों की प्रकृति पर जोर दिया जो उनकी व्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसका विश्लेषण करने से पहले हमारे सामने रखी गई प्रतिस्पर्धी व्याख्याओं के अनुसार, धारा 194 एच के प्रासंगिक भाग की जांच की जानी चाहिए और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाना चाहिए:

194 एच. कमीशन या दलाली।

कोई भी व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति या हिंदू अविभाजित नहीं है

परिवार, जो 1 जून, 2001 को या उसके बाद किसी निवासी को कमीशन (धारा 194 डी में निर्दिष्ट बीमा कमीशन नहीं) या दलाली के माध्यम से किसी भी आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है, ऐसी आय को जमा करते समय,

प्राप्तकर्ता के खाते में या नकद में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य तरीके से ऐसी आय का भुगतान करते समय, जो भी पहले हो, उस पर आय-कर की कटौती करें।

पाँच प्रतिशत की दर:

बशर्ते कि इस धारा के तहत ऐसी स्थिति में कोई कटौती नहीं की जाएगी जहां ऐसी आय की राशि या, यथास्थिति, जमा की गई ऐसी आय की राशियों का कुल योग हो।

या वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्तकर्ता के खाते में जमा या भुगतान किए जाने की संभावना पंद्रह से अधिक नहीं है।

एक हजार रुपये:

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए,

(i) "कमीशन या दलाली" में किसी अन्य व्यक्ति की ओर से प्रदान की गई सेवाओं के लिए (जो पेशेवर सेवाएँ नहीं हैं) या वस्तुओं की खरीद या बिक्री के दौरान किसी भी सेवा के लिए या किसी संपत्ति, मूल्यवान वस्तु या चीज़ से संबंधित किसी भी लेनदेन के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्य कोई भी भुगतान शामिल है।

प्रतिभूतियाँ;

20. धारा 194 एच का स्पष्टीकरण (i) उन कानूनी संबंधों की प्रकृति पर प्रकाश डालता है जो दो संस्थाओं के बीच भुगतान के लिए मौजूद हैं।

उन्हें "कमीशन" के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए। नतीजतन, हमारा प्रयास यह निर्धारित करने का होना चाहिए कि क्या ट्रैवल एजेंट सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड की ओर से काम कर रहे थे।

वी. सी. आई. टी., दिल्ली [सूर्या कान्ट, जे.]

उड़ान टिकट बेचने की प्रक्रिया के दौरान विमानन कंपनियां। जैसा कि पहले विस्तार से बताया गया है, निर्धारिती इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि मानक आयोग के भुगतान के दौरान एक प्रमुख-प्रतिनिधि संबंध मौजूद था। जिस बिंदु पर हवाई वाहक राजस्व से भिन्न होते हैं, वह है

लेन-देन का कथित दूसरा भाग अर्थात जब टिकट ग्राहक को बेचे गए थे और जिसके लिए ट्रैवल एजेंटों ने मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा निर्धारित शुद्ध किराए के अलावा कुछ राशि अर्जित की थी।

21. "मूलधन" और "अभिकर्ता" की परिभाषा अनुबंध अधिनियम की धारा 182 के तहत प्रदान की गई है। प्रावधान में कहा गया हैः

182. " एजेंट "और" प्रिंसिपल "को परिभाषित किया गया है। - एक "अभिकर्ता" वह व्यक्ति होता है जिसे किसी अन्य के लिए कोई कार्य करने के लिए या तीसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार में दूसरे का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है। वह व्यक्ति जिसके लिए

ऐसा कार्य किया जाता है, या जिसका प्रतिनिधित्व किया जाता है, उसे कहा जाता है

" प्रिंसिपल "।

लक्ष्मीनारायण राम गोपाल एंड संस लिमिटेड बनाम की सरकार एजेंसी के अनुबंध के दायरे और नौकर और मालिक के रिश्ते से इसके अंतर पर अंग्रेजी कानून में कई ग्रंथ सूचीबद्ध किए गए थेः

" 10. एक नौकर और एक एजेंट के बीच अंतर इस प्रकार है

पॉवेल के एजेंसी के कानून में पृष्ठ 16 पर संकेत दिया गया हैः

(क) आम तौर पर एक स्वामी अपने सेवक को बता सकता है कि क्या करना है और

इसे कैसे करें।

(ख) आम तौर पर एक प्रिंसिपल अपने एजेंट को यह नहीं बता सकता कि उसे कैसे ले जाना है।

उसके निर्देशों का पालन करें।

(ग) एक सेवक एक अभिकर्ता की तुलना में अधिक पूर्ण नियंत्रण में होता है।

और पृष्ठ 20 पर भीः

(क) आम तौर पर, एक सेवक वह व्यक्ति होता है जो न केवल अपने स्वामी से निर्देश प्राप्त करता है, बल्कि अपने स्वामी के उन निर्देशों को पूरा करने के तरीके को नियंत्रित करने के अधिकार के अधीन होता है। एक एजेंट अपने प्रिंसिपल के निर्देश प्राप्त करता है लेकिन आम तौर पर

15 (1955) 1 एससीआर 393 [2022] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपने अनुसार उन निर्देशों का पालन करने के लिए स्वतंत्र

एक अभिकर्ता को नियुक्त करने का उद्देश्य उसे अधिकृत करना है - अपने प्रधान की ओर से अनुबंध करें।

आम तौर पर, एक एजेंट को कमीशन द्वारा भुगतान किया जाता है।

((ग)

जिस परिणाम को प्राप्त करने के लिए उसे उसके प्रधानाचार्य द्वारा निर्देश दिया गया है, उसे प्रभावित करना। आम तौर पर, एक नौकर को मजदूरी द्वारा भुगतान किया जाता है या

वेतन मिलता है।

11. हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड-हैल्शम संस्करण-खंड 22, पृष्ठ 113 में निहित कानून का बयान,

इस संबंध में अनुच्छेद 192 का उल्लेख किया जा सकता हैः

" स्वामी और सेवक के संबंधों में अंतर

और प्रधान और अभिकर्ता को यह कहा जा सकता हैः प्रिंसिपल को यह निर्देश देने का अधिकार है कि एजेंट एजेंट को क्या काम करना हैः लेकिन एक गुरु को यह निर्देश देने का अधिकार है कि काम कैसे किया जाए।

हाल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड में इस स्थिति को और स्पष्ट किया गया है।

हेलशम संस्करण-खंड 1, पृष्ठ 193 पर, अनुच्छेद 345 जहाँ

एक अभिकर्ता, एक सेवक और स्वतंत्र ठेकेदार के पदों को इस प्रकार अलग किया जाता हैः

एक तरफ एजेंट को एक से अलग किया जाना है

नौकर, और दूसरी ओर एक स्वतंत्र ठेकेदार से। एक नौकर अपने स्वामी के प्रत्यक्ष नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत कार्य करता है, और अपने काम के दौरान उसे दिए गए सभी उचित आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है; दूसरी ओर, एक स्वतंत्र ठेकेदार है

किसी भी नियंत्रण या हस्तक्षेप से पूरी तरह से स्वतंत्र और केवल एक निर्दिष्ट परिणाम उत्पन्न करने का कार्य करता है, उस परिणाम को उत्पन्न करने के लिए अपने स्वयं के साधनों का उपयोग करता है। एक एजेंट, हालांकि सभी वैध निर्देशों के अनुसार अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए बाध्य है जो उसे समय-समय पर उसके प्रिंसिपल द्वारा दिए जा सकते हैं, इसके अभ्यास में प्रिंसिपल के प्रत्यक्ष नियंत्रण या पर्यवेक्षण के अधीन नहीं है। एक एजेंट, जैसे कि एक नौकर नहीं होता है, लेकिन एक नौकर आम तौर पर कुछ उद्देश्यों के लिए अपने स्वामी का निहित सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड होता है।

वी. सी. आई. टी., दिल्ली [सूर्या कान्ट, जे.]

अभिकर्ता, कर्तव्यों के आधार पर अभिकरण की सीमा या

सेवक की स्थिति "।

23. गॉर्डन वुड्रॉफ एंड कंपनी बनाम में यह न्यायालय। शेख एम. ए. माजिद 16 ने 'एजेंसी के अनुबंध' और 'एजेंसी के अनुबंध' के बीच का अंतर भी बताया।

बिक्री का रकबा ', निम्नलिखित आधार परः

" बिक्री का सार भुगतान किए गए या भुगतान किए जाने वाले मूल्य के लिए माल को स्वामित्व का हस्तांतरण है। ऐसे मामले में हस्तांतरणकर्ता माल के हस्तांतरणकर्ता के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत के लिए देनदार के रूप में उत्तरदायी हो जाता है न कि बिक्री की आय के लिए एजेंट के रूप में। दूसरी ओर, बेचने के लिए एजेंसी का सार है

उस व्यक्ति को माल की डिलीवरी जो उन्हें अपनी संपत्ति के रूप में नहीं बल्कि प्रधान की संपत्ति के रूप में बेचना है जो माल का मालिक बना हुआ है और इसलिए वह है

आय के लिए उत्तरदायी "।

24. यह समझने के लिए कि इस तरह के शीर्षक के हस्तांतरण ने लिया था या नहीं, इस न्यायालय ने खेडुत सहकारी जिनिंग एंड प्रेसिंग सोसाइटी बनाम।

गुजरात 1 ने पक्षों के बीच अनुबंध की बारीकी से जांच करने की आवश्यकता पर जोर दिया था और राय दी थी किः

" 5. क्या कोई विशेष समझौता एक एजेंसी समझौता है

या बिक्री का समझौता की शर्तों पर निर्भर करता है

समझौता। उस प्रश्न को तय करने के लिए, की शर्तें समझौते की जांच की जानी चाहिए। एक लिखित दस समझौते द्वारा प्रमाणित लेन-देन की वास्तविक प्रकृति होनी चाहिए

समझौतों से निर्धारित किया जाता है और न कि केवल पार्टियों द्वारा इसे क्या कहा जाता है। समझौते की शर्तें होनी चाहिए

आसपास के प्रकाश में सावधानीपूर्वक जांच की जाए परिस्थितियाँ "।

25. भोपाल शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम में इसे दोहराया गया था। एसटीओ,

अल 1 8 एक 3-न्यायाधीश पीठ द्वारा जिसने अभिनिर्धारित कियाः

" 5 ..... इस प्रकार मामले का सार यह है कि बिक्री के अनुबंध में, संपत्ति का स्वामित्व खरीदार को माल की डिलीवरी पर भुगतान या वादा की गई कीमत पर जाता है। एक बार ऐसा होने पर खरीदार संपत्ति का मालिक बन जाता है और विक्रेता के पास है

5 मान लीजिए एस. सी. आर. 1) 3 एस. सी. सी. 480 '7) 3 एस. सी. सी. 147 [2022] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संपत्ति में स्वामित्व का कोई निशान नहीं बचा है। हालांकि, बिक्री की अवधारणा में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है।

आधुनिक समय की जटिलताओं और

समाज की जरूरतों का विस्तार करना, जिसने बिक्री के दायरे में एक लेनदेन को शामिल करके निष्पक्षता के सिद्धांत से प्रस्थान किया है, भले ही विक्रेता एक समझौते के आधार पर खरीदार पर कई प्रतिबंध लगा सकता है, जैसे। जी। , मूल्य का निर्धारण, खाते जमा करना, किसी विशेष क्षेत्र या क्षेत्र में बिक्री करना आदि। ये प्रतिबंध बिक्री के अनुबंध को किसी एक एजेंसी में परिवर्तित नहीं करेंगे।

क्योंकि इन प्रतिबंधों के बावजूद लेन-देन अभी भी एक बिक्री होगी और बिक्री की सभी घटनाओं के अधीन होगी। एजेंसी का अनुबंध, हालांकि, बिक्री के अनुबंध से अनिवार्य रूप से अलग होता है क्योंकि संपत्ति की डिलीवरी लेने के बाद एक एजेंट के रूप में।

इसे अपनी संपत्ति के रूप में नहीं बेचता है लेकिन उसी के रूप में बेचता है

प्रधान की संपत्ति और उसके निर्देशों के तहत और

दिशा निर्देश। इसके अलावा, क्योंकि एजेंट का मालिक नहीं है माल, यदि अभिकर्ता को कोई नुकसान होता है तो उसे मूलधन द्वारा क्षतिपूर्ति दी जानी है। यह एक और प्रमुख है

कारक जो एक एजेंट को खरीदार से अलग करता है-शुद्ध और

सरल "।

क्या इस पर निर्धारिती की दलीलों में कुछ योग्यता है लेन-देन को दो भागों में विभाजित करनाः सबसे पहले, क्या टिकटों में शीर्षक, किसी भी समय, निर्धारिती से यात्रा एजेंटों को पारित किया गया था; दूसरा, क्या बाद वाले द्वारा उड़ान दस्तावेजों की बिक्री थी

ऐसा स्वयं एजेंटों या एयरलाइनों की संपत्ति होने के बहाने किया जाता है; तीसरा, क्या एयरलाइन या ट्रैवल एजेंट टिकटों में नियमों और शर्तों के किसी भी उल्लंघन के लिए उत्तरदायी था, और उन संविदात्मक अधिकारों को पूरा करने में विफलता के लिए जो उन्हें खरीदने वाले उपभोक्ता को प्राप्त हुए थे।

27. बीच की व्यवस्था की प्रकृति की हमारी जांच

पार्टियों को पी. एस. ए. के अध्ययन पर आधारित किया जाएगा। मूल्यांकनकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमें यह दिखाने के लिए बहुत कोशिश की है कि ट्रैवल एजेंटों और ग्राहक के बीच लेनदेन के संबंध में पीएसए में एक फुसफुसाहट भी नहीं है। उनके अनुसार, यह दर्शाता है कि लेन-देन का दूसरा भाग लेनदेन के दायरे से बाहर है।

प्रधान-अभिकर्ता संबंध।

28. इसके विपरीत, राजस्व के विद्वान वकील श्री कुमार ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी स्तर पर पी. एस. ए. यह संकेत नहीं देता है कि माल में शीर्षक अर्थात टिकट, हवाई वाहक से एजेंट को हस्तांतरित किया जाता है। पी. एस. ए. का खंड 6.1 स्पष्ट शब्दों में कहता है कि यात्रा

दस्तावेज़ वाहक की एकमात्र संपत्ति हैं और तब तक बने रहते हैं जब तक कि इसके तहत लेनदेन के अनुसार विधिवत जारी और वितरित नहीं किया जाता है।

समझौता "। इस कथन पर मूल्यांकनकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील की ओर से कोई खंडन नहीं आया था, और इसलिए, हमें श्री कुमार की इस दलील से सहमत होने में कोई संकोच नहीं है कि टिकट एयरलाइन की संपत्ति बनी हुई है। भोपाल शुगर इंडस्ट्रीज (सुप्रा) और गॉर्डन वुड्रॉफ एंड कंपनी (सुप्रा) में निर्धारित मानदंडों के अनुसार दो प्रधानाचार्यों के बीच बिक्री का कोई अनुबंध कभी भी अस्तित्व में नहीं था।

29. जब हम पी. एस. ए. पर करीब से नज़र डालते हैं, तो ऐसे कई हिस्से होते हैं जो प्रवेश करते समय पक्षों के इरादों को स्पष्ट करते हैं। समझौता। पी. एस. ए. के पाठ में कहा गया है:

प्रत्येक आई. ए. टी. ए. सदस्य (जिसे इसके बाद "वाहक" कहा जाता है) जो एजेंट की नियुक्ति करता है, जिसका प्रतिनिधित्व आई. ए. टी. ए. के महानिदेशक द्वारा किया जाता है।

आई. ए. टी. ए. ऐसे आई. ए. टी. ए. सदस्य के लिए और उनकी ओर से कार्य करता है।

3.1 एजेंट हवाई यात्री को बेचने के लिए अधिकृत है। वाहक की सेवाओं पर और पर परिवहन

अन्य की सेवाएँ वाहक द्वारा अधिकृत वाहक हैं। हवाई यात्री परिवहन की बिक्री का अर्थ है एक यात्री को वाहन का एक वैध अनुबंध प्रदान करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियाँ, जिसमें एक वैध यातायात दस्तावेज जारी करना और धन का संग्रह शामिल है, लेकिन यह सीमित नहीं है। एजेंट ऐसी सहायक और अन्य सेवाओं को बेचने के लिए भी अधिकृत है जिन्हें वाहक अधिकृत कर सकता है।

3.2 इस समझौते के अनुसार बेची जाने वाली सभी सेवाओं को वाहक की ओर से और वाहक के शुल्कों के अनुपालन में बेचा जाएगा।

गाड़ी की शर्तें और लिखित निर्देश एजेंट को दिए गए वाहक के रूप में। एजेंट वाहक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी यातायात दस्तावेज़ में निर्धारित नियमों और शर्तों को किसी भी तरह से परिवर्तित या संशोधित नहीं करेगा, और एजेंट इन दस्तावेजों को इस तरीके से पूरा करेगा।

वाहक द्वारा निर्धारित।

एक्स

x

9. पारिश्रमिक

द्वारा हवाई परिवहन और सहायक सेवाओं की बिक्री के लिए इस समझौते के तहत अभिकर्ता अभिकर्ता को उस तरीके और राशि का पारिश्रमिक देगा जैसा कि समय-समय पर कहा जा सकता है और वाहक द्वारा अभिकर्ता को सूचित किया जाएगा। इस तरह

पारिश्रमिक के लिए पूर्ण मुआवजा होगा

वाहक को प्रदान की गई सेवाएँ।

एक्स

-एक्स

एक्स

15. क्षतिपूर्ति और छूट

15.1 वाहक एजेंट, उसके अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी नुकसान, चोट या क्षति के लिए, चाहे वह प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या हानिरहित हो, क्षतिपूर्ति करने और हानिरहित रखने के लिए सहमत होता है।

इसके परिणामस्वरूप, एजेंट द्वारा की गई बिक्री के अनुसार वाहक द्वारा प्रदान की जाने वाली परिवहन या अन्य सहायक सेवाओं के दौरान उत्पन्न होने वाली या वाहक द्वारा ऐसी परिवहन या सेवाएं प्रदान करने में विफलता से उत्पन्न होने वाली, सिवाय इसके कि एजेंट, उसके अधिकारियों, कर्मचारियों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस तरह की कम, चोट या क्षति का कारण बनता है या योगदान दिया जाता है। अभिकर्ता की ओर से कार्य करने वाला अन्य व्यक्ति।

31. एजेंसी के अनुबंध के कई तत्व इन खंडों और पाठों से संतुष्ट होते हैं। ट्रैवल एजेंटों द्वारा की गई हर कार्रवाई जारी है।

हवाई वाहक की ओर से और वे जो सेवाएं प्रदान करते हैं वे एक्सप्रेस के साथ हैं

पूर्व प्राधिकरण। एयरलाइन परिवहन की वास्तविक सेवाओं और किसी भी जुड़ी हुई सहायक सेवाओं में किसी भी कमी के लिए ट्रैवल एजेंट को क्षतिपूर्ति भी करती है, क्योंकि यह ट्रैवल एजेंट ही है जो वास्तव में यात्रा दस्तावेजों पर अधिकार रखता है और अंतिम ग्राहक को प्रदान की जाने वाली वास्तविक सेवाओं के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, एयरलाइन के पास प्रदान करने की जिम्मेदारी है पी. एस. ए. के तहत किए गए कार्यों के लिए ट्रैवल एजेंट को पूर्ण और अंतिम मुआवजा।

32. अप्रतिरोध्य निष्कर्ष यह है कि अनुबंध एक एजेंसी का है

जो उड़ान टिकटों की बिक्री में शामिल लेनदेन के चरणों के संदर्भ में अंतर नहीं करता है। जबकि मूल्यांकनकर्ताओं ने सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड के अस्तित्व को आसानी से स्वीकार कर लिया था।

33. इसके बावजूद, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री अग्रवाल, अपने इस कथन में दृढ़ रहे कि प्रधान-प्रतिनिधि संबंध नहीं है। पी. एस. ए. से स्वतंत्र तर्कों के आधार पर पूरक आयोग को शामिल करता है। अब हम उन पर चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से, उन्होंने तर्क दिया कि पूरक आयोग उपभोक्ता के हाथों से और ट्रैवल एजेंटों की जेब में जाता है, बिना किसी मूल्यांकनकर्ता के हस्तक्षेप के। इसलिए, भुगतान की पूर्व शर्त

जिस पर पहले टी. डी. एस. काटा जा सकता है, वह पूरा नहीं होता है।

34. आई. टी. अधिनियम की धारा 194 एच, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भुगतानों के बीच अंतर नहीं करती है। दोनों स्पष्टीकरण (i) के अंतर्गत आते हैं -

जिसे "आयोग" कहा जा सकता है, उसे वर्गीकृत करने का प्रावधान। जैसा कि विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, श्री बनर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, प्रसार भारती (सुप्रा) में इस न्यायालय ने धारा 194 एच के दायरे पर फैसला सुनाते हुए कहा था किः

" 28. धारा 194 एच के साथ जोड़ा गया स्पष्टीकरण परिभाषित करता है -

अभिव्यक्ति "कमीशन या दलाली"। यह एक समावेशी है

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्य प्रदान की गई सेवाओं के लिए (जो पेशेवर सेवाएँ नहीं हैं) या माल की खरीद या बिक्री के दौरान या परिसंपत्तियों से संबंधित किसी लेनदेन के संबंध में किसी भी सेवा के लिए,

मूल्यवान वस्तु या वस्तु जो प्रतिभूति नहीं है। खंड (ii) व्यावसायिक सेवाओं को परिभाषित करता है; खंड (iii) प्रतिभूतियों को परिभाषित करता है; और

खंड (iv) किसी भी आय पर विचार करने के लिए एक काल्पनिक धारणा प्रदान करता है।

ताकि यह सुनिश्चित करने के लिए धारा की कठोरता को आकर्षित किया जा सके कि

अनुपालन।

31 ..... अंत में, धारा 194 एच से जुड़े स्पष्टीकरण में अभिव्यक्ति "कमीशन" की परिभाषा एक समावेशी [2022] 9 एस. सी. आर. है।

अभिव्यक्ति को व्यापक अर्थ देने वाली परिभाषा " "कमीशन", विचाराधीन लेन-देन अधिनियम की धारा 194 एच की कठोरता को आकर्षित करने के उद्देश्य से अभिव्यक्ति "कमीशन" की परिभाषा के तहत आता है।

35. इसलिए, यदि हम धारा 194 एच के दायरे को व्यापक रूप से देखते हैं, तो भुगतान के सटीक स्रोत का तथ्य नहीं होगा।

टी. डी. एस. में कटौती की आवश्यकता का परिणाम। यहां तक कि उपभोक्ता से होने वाले अप्रत्यक्ष भुगतान पर भी, निर्धारिती बने रहेंगे।

आई. टी. अधिनियम के तहत उत्तरदायी। नतीजतन, राशि के लिए उत्पत्ति के बिंदु के बारे में एयरलाइनों का विवाद आईटी अधिनियम की धारा 194 एच की प्रयोज्यता को प्रभावित नहीं करता है।

36. अगला मुद्दा कटौती करने की व्यावहारिकता और व्यवहार्यता के बारे में उठाया गया था, भले ही धारा 194 एच,

सिद्धांत रूप में, ट्रैवल एजेंट को अप्रत्यक्ष भुगतान को शामिल करें। मूल्यांकनकर्ताओं ने बताया है कि ट्रैवल एजेंट वास्तविक किराया निर्धारित करने में अपनी इच्छा से कार्य करता है जिसके लिए उड़ान टिकट बेचे जाते हैं, और एक लक्षण के रूप में।

इसके बारे में, एयरलाइन को स्वयं इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उसने अपने लिए कितना पूरक कमीशन लिया है।

37. मामले के इस पहलू पर गौर करने से पहले, यह उल्लेख नहीं करना हमारे लिए खेद की बात होगी कि इस मुद्दे पर विरोधाभासी रुख अपनाया गया है

विभिन्न उच्च न्यायालयों के बीच। मूल्यांकनकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने अपनी प्रस्तुतियों के दौरान कतर एयरवेज (सुप्रा) में बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक फैसले को हमारे ध्यान में लाया। प्रभाग

उस मामले में पीठ ने कहाः

3 ..... धारा 194 एच को आकर्षित करने के लिए, निर्धारिती द्वारा भुगतान की जा रही आय कमीशन या दलाली की प्रकृति में होनी चाहिए। राजस्व के वकील ने तर्क दिया कि यह राजस्व का मामला नहीं था कि राजस्व के बीच यह अंतर

टिकटों का मूल मूल्य और न्यूनतम निर्धारित मूल्य

वाणिज्यिक मूल्य दलाली के भुगतान के बराबर था। हालाँकि, हम पाते हैं कि स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए भुगतान की जा रही आय अनिवार्य रूप से इन हाथों में पता लगाने योग्य होनी चाहिए -

निर्धारिती। वर्तमान मामले के तथ्यों में यह देखा गया है कि

एयरलाइनों को उस सटीक दर के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी जिस पर अंततः उनके एजेंटों द्वारा टिकट बेचे गए थे। एजेंटों को निर्धारित न्यूनतम वाणिज्यिक मूल्य और सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड के बीच किसी भी दर पर टिकट बेचने का विवेकाधिकार दिया गया था।

प्रकाशित मूल्य और यह अव्यावहारिक होगा और

बेचे गए प्रत्येक टिकट के संबंध में निर्धारिती से अपने कई एजेंटों से फीडबैक प्राप्त करने की उम्मीद करना अनुचित है। इसके अलावा, यदि एयरलाइनों को प्रकाशित मूल्य से कम कीमत पर टिकट बेचने का विवेकाधिकार है, तो हमारे अनुसार, एजेंट को इसे कम कीमत पर बेचने की अनुमति न तो कमीशन के रूप में दी जा सकती है और न ही एजेंट के हाथों दलाली। हम किसी भी राशि को जोड़ने के लिए जल्दबाजी करते हैं जो एजेंट निर्धारित न्यूनतम वाणिज्यिक मूल्य से अधिक कमा सकता है।

स्वाभाविक रूप से एजेंट के हाथों में आय होगी और उसके हाथों में कर योग्य होगी। मामले के इस दृष्टिकोण में, हमारे अनुसार, विवादित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है और कानून के रूप में तैयार किए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। याचिका यह है कि

इसलिए, लिमिनी में खारिज कर दिया गया।

38. जैसा कि स्पष्ट है, बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निष्कर्षों और उठाए गए तर्कों के बीच महत्वपूर्ण समानता है

मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा। दूसरी ओर, राजस्व के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि विवादित फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख धारा 194 एच के तहत कानून के संदर्भ में और एयरलाइन उद्योग के संचालन की व्यावहारिक समझ दोनों के संदर्भ में सही स्थिति है। राजस्व के मामले का समर्थन करने वाले विवादित फैसले के निम्नलिखित प्रासंगिक हिस्से को निकालना हमारे विश्लेषण के लिए विवेकपूर्ण है:

26. जहाँ तक पहली प्रस्तुति का संबंध है कि ट्रैवल एजेंट द्वारा शुद्ध किराए के अलावा धन की प्राप्ति का कोई सबूत नहीं है, इसका जवाब वास्तव में निर्धारिती-एयरलाइन की दूसरी प्रस्तुति द्वारा दिया जाता है, जो यह है कि उन्हें ट्रैवल एजेंट द्वारा प्राप्त धन के बारे में तभी पता चलता है जब बी. एस. पी. द्वारा बिलिंग विश्लेषण को रिकॉर्ड पर रखा जाता है। इसलिए, यह कहना कि राजस्व निर्धारिती एयरलाइन पर कर कटौती करने का दायित्व डाल रहा है, जब ट्रैवल एजेंट द्वारा प्राप्त आय का कोई सबूत नहीं है, वास्तव में गलत है।

स्रोत पर कर की कटौती करना। एक बार जब कोई दायित्व निर्धारित हो जाता है तो यह निर्धारिती-एयरलाइन पर होता है कि वह ट्रैवल एजेंट से आवश्यक जानकारी प्राप्त करे जो इसकी देखरेख में काम करता है। स्वयं ऐसे
यातायात दस्तावेजों में से प्रत्येक की बिक्री पर ट्रैवल एजेंट द्वारा प्राप्त वास्तविक आय पर कर कटौती करने की स्थिति में/[2022] 9 एस. सी. आर.

निर्धारिती-एयरलाइन की ओर से बेचे गए हवाई टिकट। चूंकि यातायात दस्तावेजों/हवाई टिकटों की बिक्री के संबंध में सबसे अच्छा सबूत निर्धारिती-एयरलाइन या उसके एजेंटों के पास उपलब्ध है, इसलिए हमारे विचार में यह रुख नहीं अपनाया जा सकता है कि कर की कटौती के लिए तंत्र विफल हो गया है। यह तथ्य कि यह जानकारी बी. एस. पी. द्वारा किए गए बिलिंग विश्लेषण द्वारा उपलब्ध कराई गई है, यह दर्शाता है कि निर्धारिती-एयरलाइन द्वारा जानकारी प्राप्त करना संभव है, इसलिए हम न्यायाधिकरण के इस विचार को स्वीकार नहीं करते हैं कि धन प्राप्त होने का कोई सबूत नहीं है। ट्रैवल एजेंट द्वारा शुद्ध किराए के ऊपर और ऊपर प्राप्त किया गया या कि उक्त जानकारी समय पर प्रासंगिक बिंदु पर उपलब्ध नहीं है और इसलिए, निर्धारिती-एयरलाइन को निर्धारिती-इन-डिफॉल्ट नहीं माना जा सकता है।

39. पूर्णता के लिए, मद्रास उच्च न्यायालय का एक और निर्णय भी है जो विवादित निर्णय (सुप्रा) में दिल्ली उच्च न्यायालय के समान रुख अपनाता है। दुनिया भर में यात्रा और टूर्स पी. लिमिटेड बनाम भारत संघ का निर्धारिती एक ट्रैवल एजेंट था जिसने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि धारा 194 एच के तहत टीडीएस केवल उस मानक आयोग राशि के लिए काटा जाएगा जो वास्तव में उन एयरलाइनों द्वारा उसे भुगतान किया गया था जिनके लिए वह काम कर रहा था। यह रोक शुरू में उच्च न्यायालय द्वारा दी गई थी, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया, जिसके खिलाफ निर्धारिती ने अपील दायर की थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने कहाः

8. अपीलकर्ताओं द्वारा एयरलाइनों को कर कटौती से रोकने के लिए माँगा गया निषेधाज्ञा एक निषेधाज्ञा नहीं है जिसे दिया जा सकता है। कर के भुगतान के लिए देयता क़ानून के संदर्भ में उत्पन्न होती है और अपीलार्थियों की धारणा नहीं हो सकती है

वैधानिक प्रावधान की सही सामग्री का निर्धारण करना और उस व्यक्ति को, जो अन्यथा कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी हो सकता है, उस पर कर की कटौती करने से रोकने के लिए अदालत के लिए एक ठोस आधार नहीं हो सकता है।

अभिकर्ताओं को किया गया भुगतान।

9. हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अपीलकर्ताओं ने अदालत के समक्ष उस योजना को नहीं रखा है जिसके तहत भुगतान किए जाते हैं या लेखा किया जाता है। यह कैविएटर एयरलाइन का निश्चित रुख है कि एजेंटों को क्या उपलब्ध कराया जाता है पूरक कमीशन, जो राशि एजेंटों के लिए निःशुल्क है

19 2003 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 1027 सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड।

जिस तरह से वे चाहते हैं उससे निपटने के लिए। एजेंटों के अनुसार एयरलाइनों को, यात्रियों को पूरक कमीशन की पूरी राशि दे सकते हैं या इसका एक हिस्सा अपने पास रख सकते हैं और

उस कमीशन के केवल एक हिस्से को पास करें।

40. अराउंड द वर्ल्ड ट्रेवल्स (सुप्रा) में विवाद का उल्लेखनीय पहलू एयरलाइन द्वारा इस बात पर जोर देना था कि राशि उनके द्वारा बरकरार रखी जाए।

निर्धारिती प्रतिनिधि पूरक आयोग था। इससे उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभिकर्ता द्वारा अर्जित राशि धारा के तहत टीडीएस कटौती के लिए अतिसंवेदनशील प्रतीत होती है

194 एच. इस पृष्ठभूमि में, धारा 194 एच के संबंध में परिदृश्य और नेट फेयर के ऊपर एक ट्रैवल एजेंट द्वारा अर्जित सहायक राशि पर इसकी प्रयोज्यता उच्च न्यायालयों के बीच एकरूपता की कमी को दर्शाती है।

41. उच्च न्यायालयों द्वारा विपरीत राय की आवश्यकता है

इस बिंदु पर स्पष्टता लाने के लिए हमारी ओर से निश्चित निर्णय। अब हम वास्तविक किराए के बारे में एयरलाइन की जानकारी की कमी और उस राशि पर टीडीएस की कटौती की उम्मीद करने की परिणामी अव्यावहारिकता के मुद्दे पर मूल्यांककों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा विशिष्ट तर्क पर लौट सकते हैं, जिसके बारे में उसे पता भी नहीं है।

42. राजस्व के लिए विद्वान वकील ने बी. एस. पी. के संचालन के तरीके पर प्रकाश डालते हुए इसका खंडन किया है जहां वित्तीय डेटा है। टिकटों की बिक्री के बारे में संग्रहित किया जाता है। उनके अनुसार, बी. एस. पी. कई लेनदेनों से डेटा एकत्र करती है और इसे दो बार प्रसारित करती है।

एक महीना, या द्विमासिक। राजस्व से यह उम्मीद नहीं है कि

व्यापक कटौती। यह प्रस्तुत किया गया था कि निर्धारिती को धारा 194 एच के तहत अपने वैधानिक कर्तव्यों से मुक्त नहीं किया जा सकता है, भले ही इस तरह से काम करने की व्यवहार्यता कुछ भी हो। 43. प्रतिद्वंद्वी विवादों का विश्लेषण करने और पक्षों के बीच मुख्य-प्रतिनिधि संबंध को ध्यान में रखते हुए, हम राजस्व के तर्कों में महत्वपूर्ण योग्यता पाते हैं। पूरक कमीशन के रूप में अर्जित राशि को समझने और तदनुसार टी. डी. एस. की कटौती करने के लिए विमानन कंपनियां बी. एस. पी. का उपयोग कैसे कर सकती हैं, यह एक आंतरिक तंत्र है जो आई. टी. अधिनियम की धारा 194 एच के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करता है।

इस प्रणाली की विशिष्टताओं को कतर एयरवेज (सुप्रा) में बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया था। 44. इसके अलावा, ट्रैवल एजेंटों द्वारा लिए जाने वाले वास्तविक किराए पर विमानन कंपनियों के नियंत्रण की कमी, शुद्ध किराए से अधिक नहीं हो सकती है।

निर्धारिती के लिए उनके दायित्व से बचने के लिए कानूनी आधार बनाना। जैसा कि लक्ष्मीनारायण राम गोपाल एंड सन लिमिटेड (सुप्रा) में बताया गया है कि एजेंसी के एक अनुबंध में एजेंट के कार्यों की बारीकियों पर नियंत्रण नहीं होता है। निरीक्षण का ऐसा स्तर अधिक निकटता से एक स्वामी-सेवक संबंध के समान होगा। एक प्रमुख-प्रतिनिधि संबंध में, यह बाद वाले के लिए पर्याप्त है।

अनुबंध के तहत जिम्मेदारियों और कर्तव्यों और उन्हें पूरा करने के लिए कुछ दिशानिर्देशों के बारे में सूचित किया जाना। एक एजेंट निस्संदेह वांछित परिणाम प्राप्त करने के तरीके पर विवेक का एक बड़ा स्तर रखता है। एजेंसी के अनुबंध की इस विशेषता को इस न्यायालय द्वारा कमर शफी तैयबजी बनाम में मजबूत किया गया था। आयुक्त, अतिरिक्त लाभ कर, हैदराबाद 20 निम्नलिखित तरीके सेः

" 7 ..... एक तरफ एजेंट को नौकर से और दूसरी तरफ स्वतंत्र ठेकेदार से अलग करना पड़ता है। एक सेवक अपने स्वामी के प्रत्यक्ष नियंत्रण और पर्यवेक्षण में कार्य करता है, और अपने कार्य के दौरान दिए गए सभी उचित आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होता है। एक एजेंट हालांकि सभी वैध निर्देशों के अनुसार अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए बाध्य है जो उसे समय-समय पर उसके प्रधानाचार्य द्वारा दिया जा सकता है, इसके अभ्यास में प्रत्यक्ष नियंत्रण या पर्यवेक्षण के अधीन नहीं है

प्रिंसिपल। वास्तव में, अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील

ऊपर दिए गए भेद को सही के रूप में स्वीकार करता है और यह भी स्वीकार करता है कि मिलों और न्यासियों के बीच वास्तविक संबंध प्रधान और अभिकर्ता का था; लेकिन वह तर्क देता है कि न्यासियों और अपीलार्थी के बीच संबंध एक प्रमुख संबंध था।

और सेवक। हम मानते हैं कि यह तर्क पूरी तरह से है

अस्वास्थ्यकर। हमने 12 अप्रैल, 1934 को मिल्स और न्यासियों के बीच हुए मूल समझौते की जांच की है। उस समझौते के खंड 9 में कहा गया है कि "एजेंट अपनी कार्यवाही को इस तरह से विनियमित और संचालित कर सकते हैं जो वे समय-समय पर निर्धारित कर सकते हैं और सचिवों, खजानेदारों के रूप में अपनी सभी या किसी भी शक्ति, प्राधिकरण और विवेकाधिकार को प्रत्यायोजित कर सकते हैं और

कंपनी के एजेंटों को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को और ऐसे नियमों और शर्तों पर जो वे उचित समझते हैं,

20 (1960) 3 एससीआर 546 सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड। वी. सी. आई. टी., दिल्ली [सूर्या कान्ट, जे.]

कंपनी के निदेशक मंडल की मंजूरी "। द. इसके तहत अपीलार्थी के पक्ष में प्रतिनिधि मंडल बनाया गया था।

खंड। इसलिए स्थिति इस प्रकार थीः न्यासियों को अभिकर्ता के रूप में एजेंसी के व्यवसाय में प्रधान के लिए कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नामित करने का अधिकार था, और उन्होंने

निदेशक मंडल के अनुमोदन के साथ अपीलार्थी।

इसलिए, अपीलार्थी न तो सेवक था और न ही केवल उप-अभिकर्ता। वह एजेंसी के व्यवसाय के ऐसे हिस्से के लिए प्रिंसिपल का एजेंट था जो उसे सौंपा गया था।

45. यह तथ्य कि ट्रैवल एजेंट के पास एक वास्तविक किराया निर्धारित करने का विवेकाधिकार है जो शुद्ध किराए से ऊपर है, का किराया की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

पक्षों के बीच संबंध। अभिकरण का अनुबंध अभिकर्ता को अपनी इच्छा से कार्य करने की अनुमति देता है बशर्ते वह अभिकरण अनुबंध के उद्देश्य और प्रधान के हितों का उल्लंघन न करे। ट्रैवल एजेंटों के लिए पूरक आयोग की वृद्धि पी. एस. ए. के तहत वास्तविक प्रधान-एजेंट संबंध के लिए एक सहायक है। इस तरह की वाणिज्यिक व्यवस्था में, एक एजेंट द्वारा प्राप्त लाभ आकस्मिक है और जिम्मेदारियों के साथ एक उचित रूप से करीबी संबंध है।

जो इसे प्रमुख वायु वाहक द्वारा सौंपा गया था। इस तरह का संयोग लाभ या कार्य संबंध के दायरे में आने चाहिए, अनुबंध में या अनुबंध के तहत व्यक्त की गई किसी भी स्पष्ट सीमाओं के अधीन।

सेवाएं वाहक के लिए एक प्रत्ययी क्षमता में तब तक आयोजित की जाती हैं जब तक कि एक उचित लेखांकन किया जाता है। विचाराधीन खंड नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

7.2 परिवहन के लिए अभिकर्ता द्वारा एकत्र किए गए सभी धन और

इस समझौते के तहत बेची जाने वाली सहायक सेवाएं, जिनमें शामिल हैं -

लागू पारिश्रमिक जो अभिकर्ता इसके तहत दावा करने का हकदार है, वाहक की संपत्ति है और वाहक के लिए या वाहक की ओर से विश्वास में अभिकर्ता द्वारा तब तक रखा जाना चाहिए जब तक कि वाहक को संतोषजनक रूप से लेखा नहीं दिया जाता है और समझौता नहीं किया जाता है।

47. वास्तविक किराया पर नियंत्रण की कमी के बावजूद, अनुबंध में निश्चित रूप से कहा गया है कि एजेंट द्वारा प्राप्त "सभी धन"

जब तक उन्हें बी. एस. पी. पर दर्ज नहीं किया जाता और ठीक से मापा नहीं जाता, तब तक उन्हें विमान वाहक की संपत्ति के रूप में रखा जाता है। जैसा कि विद्वान वकील [2022] 9 एस. सी. आर. द्वारा पहले ही उल्लेख किया जा चुका है।

राजस्व के लिए, और एयरलाइनों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा स्वीकार किया गया, बी. एस. पी. एक अलग शीर्षक के तहत "पूरक आयोग" का सीमांकन करती है। इसलिए, एक बार जब आई. ए. टी. ए. बी. एस. पी. पर दिखाई गई संचित राशि का भुगतान कर देता है, तो निर्धारकों के लिए एजेंट द्वारा अर्जित इस अतिरिक्त आय पर टी. डी. एस. काटना संभव होगा, और धारा 194 एच के तहत घटाव के बाद जो कुछ भी बचा रहेगा, उसे स्वयं एजेंटों के लिए आय के रूप में गिना जाएगा। यह इस बिंदु पर है कि पी. एस. ए. के खंड 7.2 के अनुरूप पूरी तरह से और अंत में समझौता किया जाता है।

48. निर्धारिती की चिंताओं की एकमात्र बची हुई आपत्ति

अनुबंध अधिनियम की धारा 216। उचित रूप से दायरे की सराहना करना

प्रावधान के अनुसार, दोनों धाराओं 215 और 216 का संयुक्त अध्ययन आवश्यक है। इन दोनों प्रावधानों को आसानी के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है। संदर्भः

प्रधान की सहमति के बिना एजेंसी के व्यवसाय में। यदि कोई अभिकर्ता व्यवसाय में अपने खाते से सौदा करता है

और उसे सभी भौतिक परिस्थितियों से परिचित कराना जो इस विषय पर अपने ज्ञान में आ गए हैं, प्रिंसिपल

लेन-देन को अस्वीकार कर सकता है, यदि मामला दिखाता है, या तो कि

कोई भी भौतिक तथ्य उससे बेईमानी से छिपा दिया गया है।

अभिकर्ता द्वारा, या अभिकर्ता के लेन-देन किए गए हैं

उसके लिए नुकसानदेह।

एक्स

-एक्स

216. कार्य करने वाले अभिकर्ता द्वारा प्राप्त लाभ का प्रधानाचार्या का अधिकार

एजेंसी के व्यवसाय में उसका अपना खाता।

यदि कोई एजेंट, अपने प्रिंसिपल की जानकारी के बिना, सौदा करता है

एजेंसी का व्यवसाय उसके बजाय अपने खाते पर अपने प्रधान के खाते में, प्रधान को दावा करने का अधिकार है

अभिकर्ता को कोई ऐसा लाभ जिससे वह लाभान्वित हुआ हो लेन-देन।

49. हमारे सामने मौजूद तथ्यों में हम पाते हैं कि धारा 215 और 216

अनुबंध अधिनियम से कोई सहायता नहीं मिलती है। हम पहले ही यह सुनिश्चित कर चुके हैं कि पी. एस. ए. सप्लीमेंट्री के मुद्दे को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं करता है।

कमीशन बिल्कुल। इसके अलावा, अपने स्वयं के खाते से कार्य करने वाला एजेंट, सिद्धांत रूप में, एजेंसी के अनुबंध की प्रकृति को नहीं बदलता है और केवल सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड को जन्म देता है।

यदि उनके भीतर निहित शर्तें मौजूद हैं तो कार्य करें। हम इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना उपयोगी नहीं समझते हैं।

50. किसी भी मामले में, यह देखते हुए कि पूरक आयोग के बारे में जानकारी एयरलाइनों के लिए उपलब्ध थी, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि

एयरलाइंस एजेंट द्वारा आय के उस अतिरिक्त हिस्से के संचय से जुड़े आईटी अधिनियम के तहत देनदारियों से खुद को मुक्त नहीं कर सकती थी। ये राशि उस लेन-देन के लिए आकस्मिक थी जिसके द्वारा उड़ान टिकट हवाई वाहक की ओर से बेचे गए थे और उनके लाभ के लिए थे। यह पुरानी कहावत कि किसी अनुबंध का एक पक्ष "अनुमोदन और खंडन दोनों" नहीं कर सकता है, इस तथ्यात्मक परिदृश्य के लिए उपयुक्त है। 21

51. एजेंसी के अनुबंध के दायरे में कानून की व्याख्या और दोनों के बीच के अंतर के वर्गीकरण पर इसके परिणामी प्रभाव से

वास्तविक किराया और शुद्ध किराया टी. डी. एस. की कटौती के लिए उत्तरदायी एक "कमीशन" होने के नाते, हम मूल्यांकनकर्ताओं की प्रस्तुतियों से विचलित नहीं होते हैं। पी. एस. ए. की व्याख्या, धारा 182 के चश्मे के माध्यम से राजस्व द्वारा प्रदत्त अनुबंध अधिनियम और आई. टी. अधिनियम की धारा 194 एच सही स्थिति प्रतीत होती है। इस प्रकार, हम इस निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं कि

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एयरलाइनों और ट्रैवल एजेंटों के बीच संबंधों की प्रकृति और पूरक आयोग पर टी. डी. एस. की कटौती से जुड़ी देनदारी पर विवादित फैसले में। हमारे विश्लेषण के परिणामस्वरूप, कतर एयरवेज (सुप्रा) में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को खारिज कर दिया गया है।

डी. 2 राजस्व तटस्थ

52. आई. टी. अधिनियम की धारा 194 एच की प्रयोज्यता के संबंध में राजस्व के पक्ष में होने के कारण, हमारे लिए शेष मुद्दा

यह पता लगाने के लिए कि क्या मामले को राजस्व तटस्थ कर दिया गया है। दोनों पक्षों के विद्वान वकील इस बात पर सहमत हुए हैं कि जिन ट्रैवल एजेंटों को ए. वाई. 2001-02 के लिए पूरक आयोग प्राप्त हुआ है, वे पहले ही इन राशियों को अपनी आय के रूप में दिखा चुके हैं। इसके बाद उन्होंने इन राशियों पर आयकर का भुगतान किया है।

53. मूल्यांकनकर्ताओं के वरिष्ठ वकील श्री अग्रवाल ने तर्क दिया है कि इस मामले में राजस्व को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

राजस्व के लिए विद्वान वकील, श्री कुमार ने ट्रैवल एजेंटों द्वारा आयकर के भुगतान को स्वीकार किया, लेकिन तर्क दिया कि यह छूट नहीं देता है। 21 नागुबाई अम्मल और अन्य। वी. बी. शमा राव और अन्य। , [1956] 1 एससीआर 451।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. टी. अधिनियम की धारा I के तहत जनादेश के संदर्भ में उनके उल्लंघन के मामले।54. यह अदालत हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड में है। लिमिटेड वी. आयकर (सुप्रा) के मिशनर को भी इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा, जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 194 सी के तहत उस आय के प्राप्तकर्ता ने पहले ही आय का भुगतान कर दिया था, जिस पर निर्धारिती टीडीएस लेने में विफल रहा था

उस राशि पर। न्यायालय ने कहाः

" 6. न्यायाधिकरण ने अपील पर फिर से सुनवाई करते हुए कहा कि हालांकि अपीलकर्ता-निर्धारिती को 'चूक में निर्धारिती' के रूप में उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया था, लेकिन कथित कर की कोई वसूली नहीं हो सकती है।

अपीलार्थी से एक बार फिर चूक यह मानते हुए कि

प्रदीप ऑयल कॉर्पोरेशन ने पहले ही करों का भुगतान कर दिया था। अपीलार्थी से प्राप्त राशि। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विभाग ने न्यायाधिकरण के समक्ष स्वीकार किया कि कर कटौतीकर्ता से एक बार फिर वसूली नहीं की जा सकती है

जहां प्राप्तकर्ता ने वह आय शामिल की जिस पर कर की कथित रूप से उसकी कर योग्य आय में कटौती की गई थी और उस पर करों का भुगतान किया गया था। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि प्रदीप ऑयल कॉर्पोरेशन ने पहले ही अपीलार्थी से प्राप्त अपनी आय पर देय करों का भुगतान कर दिया था और कर विभाग से धनवापसी प्राप्त कर ली थी। न्यायाधिकरण ने सही निष्कर्ष निकाला कि एक बार फिर कर की वसूली नहीं की जा सकी।

अपीलार्थी (समर्पित-निर्धारिती) क्योंकि कर पहले ही लगाया जा चुका है।

आय प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान किया गया।

9. जो भी हो, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र संख्या 275/201/95-आई. टी. (बी) दिनांक 29.1.1997 में

हमारी सुविचारित राय से विवाद का अंत होना चाहिए। परिपत्र में घोषणा की गई है कि "आयकर अधिनियम की धारा 201 (1) के तहत कल्पना की गई किसी भी मांग को तब लागू नहीं किया जाना चाहिए जब कर कटौतीकर्ता ने टीडीएस के प्रभारी अधिकारी को संतुष्ट कर दिया हो कि करों का भुगतान कटौती किए गए निर्धारिती द्वारा किया गया है। हालांकि, यह धारा के तहत ब्याज वसूलने के दायित्व को नहीं बदलेगा।

201 (1क) आयकर अधिनियम की धारा 271 सी के तहत कटौती किए गए-निर्धारिती या जुर्माने के लिए देयता द्वारा करों के भुगतान की तारीख तक। सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड।

वी. सी. आई. टी., दिल्ली [सूर्या कान्ट, जे.]

55. आयकर आयुक्त बनाम में आई. टी. अधिनियम की धारा 192 के संदर्भ में भी इसी तरह का सिद्धांत आगे बढ़ाया गया था। एली लिली एंड कंपनी

(भारत) 22:

" 98 ..... इसलिए, हमारे विचार में, कर-कटौतीकर्ता-निर्धारिती (प्रत्यर्थी) विदेशी कंपनी द्वारा विदेश में भुगतान किए गए गृह वेतन/विशेष भत्ते (ओं) से धारा 192 (1) के तहत स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए कर्तव्यबद्ध थे, विशेष रूप से जब

99. जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले में हमारे समक्ष 104 दीवानी अपीलें हैं। हम एओ को प्रत्येक मामले की जांच करने का निर्देश दे रहे हैं पता लगाएँ कि कर्मचारी-निर्धारिती (प्राप्तकर्ता) ने भुगतान किया है या नहीं।

विदेशी कंपनी से प्राप्त गृह वेतन/विशेष भत्ते पर देय कर। यदि गृह वेतन/विशेष भत्ते (ओं) पर देय करों का भुगतान किया जाता है तो एओ धारा 201 (1) के तहत आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे मामलों में जहां कर का भुगतान नहीं किया गया है, एओ धारा 201 (1) के तहत आगे बढ़ेगा -

कर के भुगतान में कमी की वसूली करें।
100. इसी तरह, 104 अपीलों में से प्रत्येक में ए. ओ.

जाँच करें और पता करें कि क्या ब्याज का भुगतान किया गया है /

उस तारीख के बीच की अवधि के लिए वसूली की गई जिस दिन कर कटौती योग्य थी उस तारीख तक जिस दिन वास्तव में कर का भुगतान किया गया था।

यदि किसी भी मामले में, वनाच्छादित अवधि के लिए ब्याज अर्जित होता है और यदि इसका भुगतान नहीं किया जाता है तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण धारा के तहत वनाच्छादित अवधि के लिए ब्याज की वसूली के लिए कदम उठाएगा।

201 (1ए)। "

56. हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यदि आय का प्राप्तकर्ता, जिस पर टी. डी. एस. की कटौती नहीं की गई है, भले ही वह आई. टी. अधिनियम के तहत इस तरह की कटौती के लिए उत्तरदायी था, पहले से ही अपनी आय में उस राशि को शामिल कर चुका है और उसी पर करों का भुगतान कर चुका है, तो निर्धारिती के खिलाफ अब टी. डी. एस. में कम गिरावट की वसूली के लिए कार्रवाई नहीं की जा सकती है। हालांकि, यह खुला रहेगा टी. डी. एस. की कटौती में चूक की तारीख और उस तारीख के बीच की अवधि के लिए धारा 201 (1ए) के तहत ब्याज का भुगतान करने के लिए राजस्व जिस पर प्राप्तकर्ता ने वास्तव में उस राशि पर आयकर का भुगतान किया था जिसके लिए ऐसी कटौती में कमी आई थी।

57. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पार्टियों के लिए विद्वान परामर्शदाता इस तथ्य पर सहमत थे कि ट्रैवल एजेंट पहले ही उनके द्वारा अर्जित राशि पर कर का भुगतान कर चुके थे। राजस्व ने तर्क दिया था कि टी. डी. एस. के भुगतान में चूक को विशुद्ध रूप से इस आधार पर माफ नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, हिंदुस्तान कोका कोला (सुप्रा) और एली लिली एंड कंपनी में निर्णय।

(सुप्रा) टी. डी. एस. में कमी की वसूली के लिए निर्धारिती एयरलाइनों को आगे बढ़ाने की उनकी क्षमता को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है और उन्हें ब्याज लगाने तक सीमित करता है।

डिफ़ॉल्ट के लिए।

ब्याज की राशि जो इस मामले को बंद करने से पहले निर्धारिती भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। इस प्रकार, हम इस मामले को निर्धारण अधिकारी को वापस भेजना उचित समझते हैं ताकि चूक की तारीख से लेकर भुगतान की तारीख तक की अवधि के लिए देय ब्याज भुगतान के संदर्भ में इन बिंदुओं को स्पष्ट किया जा सके। अभिकर्ताओं द्वारा करों का भुगतान।

अधिकारी ने शुरू में निर्देश दिया था कि टी. डी. एस. के घटाव में चूक के लिए मूल्यांकनकर्ताओं के खिलाफ दंड की कार्यवाही शुरू की जाए, लेकिन हमें सूचित किया जाता है कि इस प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, जबकि विमानन कंपनियां और राजस्व विभिन्न अपीलीय मंचों के समक्ष धारा 194 एच की प्रयोज्यता के प्राथमिक मुद्दे को चुनौती दे रहे थे। धारा 271 सी प्रदान करती है अध्याय XVII-B के किसी भी प्रावधान का पालन करने में विफलता के लिए दंड लगाने के लिए, जिसमें धारा 194H शामिल है। इस प्रावधान को धारा 273 बी के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो अन्यथा चूक करने वाले निर्धारिती को कुछ परिस्थितियों में दंड लगाने से बचाता है। जुड़वां प्रावधान इस प्रकार हैं:

(1) यदि कोई व्यक्ति ऐसा करने में विफल रहता है -
(क) आवश्यकता के अनुसार कर की पूरी या किसी भी भाग की कटौती करें या

अध्याय XVII-B के प्रावधानों के तहत; या

(ख) पूर्ण या कर के किसी भी हिस्से का भुगतान करें।

(i) धारा 1150 की उप-धारा (2); या ((ii) धारा 194 ख का दूसरा परंतुक, तो, ऐसा व्यक्ति

जुर्माने के रूप में, राशि के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा ऐसा कर जो ऐसा व्यक्ति उपर्युक्त रूप में काटने या भुगतान करने में विफल रहा हो।

(2) उप-धारा (1) के तहत लगाया जाने वाला कोई भी जुर्माना होगा

संयुक्त आयुक्त द्वारा अधिरोपित।

-एक्स

एक्स

-एक्स

धारा 273 खः कुछ मामलों में जुर्माना नहीं लगाया जाएगाः

खंड के प्रावधानों में कुछ भी निहित होने के बावजूद

(ख) धारा 271 की उप-धारा (1), धारा 271 क, धारा

273 , व्यक्ति या व्यक्ति पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। निर्धारिती, जैसा भी मामला हो, में निर्दिष्ट किसी भी विफलता के लिए

उक्त प्रावधान यदि वह साबित करता है कि उचित कारण था

उक्त विफलता के लिए।

60. धारा 273 बी के तहत "उचित कारण" के दायरे की आवश्यकता है

इससे पहले कि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि मूल्यांकन अधिकारी ने एस. एस. आई. के खिलाफ लगाए जाने वाले संभावित दंड की गणना करने के लिए भी कहा। एली लिली एंड कंपनी (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय ने नीचे दिए गए विवरण में उस संदर्भ में विस्तार से बताया था जिसमें धारा 273 बी का उल्लेख किया जा सकता हैः

94 ..... धारा 273 बी में कहा गया है कि किसी भी चीज के बावजूद

धारा 271 सी में निहित, कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा स्रोत पर कर की कटौती करने में विफलता के लिए व्यक्ति या निर्धारिती

यदि ऐसा व्यक्ति या निर्धारिती यह साबित करता है कि उक्त विफलता के लिए उचित कारण। इसलिए, दायित्व

जुर्माना केवल उस व्यक्ति पर लगाया जा सकता है जो [2022] 9 एस. सी. आर. करता है।

स्रोत पर कर की कटौती न करने का अच्छा और पर्याप्त कारण नहीं है। केवल वही व्यक्ति दंड के लिए उत्तरदायी होंगे जिनके पास कर की कटौती नहीं करने का अच्छा और पर्याप्त कारण नहीं है। बेशक, इस तरह का अच्छा साबित करने का बोझ व्यक्ति पर है।

और पर्याप्त कारण।

95. हमारे सामने 104 मामलों में से प्रत्येक में, हम पाते हैं कि स्रोत पर कर की कटौती न होने के कारण

विवादास्पद जोड़। एकत्रीकरण की अवधारणा या "वेतन" शीर्ष के तहत प्रभार्य पूरी आय का समेकन धारा 192 के तहत स्रोत पर कर की कटौती के लिए एक प्रारंभिक मुद्दा था। कर-कटौतीकर्ता-निर्धारिती एक वास्तविक और प्रामाणिक विश्वास के तहत था कि वह घर के वेतन से स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए किसी भी दायित्व के तहत नहीं था।

विदेशी कंपनी/एच. ओ. द्वारा भुगतान किया गया और इसके परिणामस्वरूप, हमारा विचार है कि 104 मामलों में से किसी में भी दंड धारा 271 सी के तहत देय नहीं था क्योंकि प्रत्येक मामले में प्रतिवादी ने

विफलता के लिए उचित कारण दिखाने के अपने बोझ का निर्वहन किया

स्रोत पर कर की कटौती करना।

61. हम वर्तमान मामले के तथ्यों और एली लिली एंड कंपनी (सुप्रा) की स्थिति के बीच कुछ समानताएं पाते हैं। पूरक कमीशन पर टी. डी. एस. की कटौती करने के लिए एक एयरलाइन का दायित्व स्वीकार्य रूप से नहीं था

ए. वाई. 2001-02 में पहली बार विवाद उत्पन्न होने पर इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया। जबकि राजस्व के लिए विद्वान वकील, श्री कुमार ने हमें सूचित किया है कि विभिन्न विमानन कंपनियां उस समय धारा 194 एच के तहत टीडीएस काट रही थीं, इसका मतलब यह नहीं है कि कानून की स्थिति तय हो गई थी। बल्कि, यह हमें प्रतीत होता है कि जबकि हवाई वाहक के एक समूह ने इस धारणा के तहत काम किया कि पूरक आयोग के भीतर आएगा आई. टी. अधिनियम के प्रावधानों के दायरे में, एक अन्य समूह ने विपरीत दृष्टिकोण रखा। हमारे सामने मूल्यांकनकर्ता बाद की श्रेणी से संबंधित हैं। इसके अलावा, जैसा कि हमने पहले प्रकाश डाला है, विरोधाभासी घोषणाएं थीं

आने वाले वर्षों में विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा जो स्पष्ट रूप से उस वास्तविक और प्रामाणिक कानूनी पहेली को उजागर करता है जो धारा 194 एच के पूरक आयोग पर लागू होने की संभावना से उठाई गई थी। 62. इसलिए, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि मूल्यांकनकर्ताओं ने आईटी अधिनियम की धारा 273 बी के तहत मानदंडों को पूरा नहीं किया है। हालांकि

हम उनकी दलीलों को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, स्पष्ट रूप से एक तर्कपूर्ण और "नवजात" कानूनी मुद्दा था जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा समाधान की आवश्यकता थी और इसलिए, हवाई वाहकों के लिए सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड होने का "उचित कारण" था।

संबंधित अवधि में टी. डी. एस. नहीं काटा गया। इस तर्क से तार्किक निष्कर्ष यह है कि आई. टी. अधिनियम की धारा 271 सी के तहत एयरलाइनों के खिलाफ दंड की कार्यवाही रद्द कर दी गई है।

ई. निष्कर्ष

63. आई. टी. अधिनियम की धारा 194 एच के अनुपूरक आयोग को लागू करने के संदर्भ में हमारा निष्कर्ष

ट्रैवल एजेंट स्पष्ट रूप से राजस्व के पक्ष में है। धारा 194 एच को अनुबंध अधिनियम की धारा 182 के साथ पढ़ा जाना है। यदि दो पक्षों के बीच संबंध, जैसा कि उनके इरादों से निकाला गया है, जैसा कि उनके बीच अनुबंध की शर्तों में प्रकट होता है, एक प्रमुख-एजेंट के अस्तित्व का संकेत देता है।

अनुबंध अधिनियम की धारा 182 के तहत परिभाषित संबंध, फिर आईटी अधिनियम की धारा 194 एच के तहत "कमीशन" की परिभाषा है

इसे आकर्षित किया जाता है और टी. डी. एस. काटने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। विचाराधीन अवधि के दौरान विमानन उद्योग ने कैसे काम किया, इसकी वास्तविकताएं हमारे इस निष्कर्ष को पुष्ट करती हैं कि बी. एस. पी. और नियोजित भुगतान तंत्र द्वारा प्रदान की गई जानकारी का उपयोग करना मूल्यांकनकर्ताओं के लिए व्यावहारिक और व्यवहार्य था।

64. यह कहने के बाद, पक्षों के बीच आम सहमति के आलोक में कि ट्रैवल एजेंट पहले ही पूरक पर आयकर का भुगतान कर चुके हैं इससे, निर्धारिती द्वारा देय टी. डी. एस. में कमी की आगे कोई वसूली नहीं हो सकती है। हालांकि, आईटी अधिनियम की धारा 201 (1 ए) के तहत ब्याज लगाया जा सकता है। मामले के इस पहलू के उपसंहार के रूप में, निर्धारण अधिकारी को इसके द्वारा देय ब्याज की गणना करने का निर्देश दिया जाता है -

जिन राशियों से टी. डी. एस. घटाया जाना था। यह देखते हुए कि हमारे सामने कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं रखा गया था, हम इस बात से अवगत हैं कि कुछ विसंगतियां हो सकती हैं जिन्हें दूर करने के लिए निर्धारण अधिकारी सबसे अच्छी स्थिति में हैं। 65. इस स्थिति में कि किसी भी एजेंट ने अभी तक पूरक आयोग पर करों का भुगतान नहीं किया है, राजस्व को [2022] 9 एस. सी. आर. की वसूली के लिए आई. टी. अधिनियम के तहत कानून के अनुसार आगे बढ़ने की स्वतंत्रता होगी।

एयरलाइनों से टी. डी. एस. में कमी। हालाँकि, हम आई. टी. अधिनियम की धारा 273 बी के आलोक में मूल्यांकनकर्ताओं के खिलाफ जुर्माना लगाने की क्षमता को सीमित करते हैं।

66. ऐसा निष्कर्ष निकालने के बाद, हम आशा करते हैं कि बंद को एक कानूनी विवाद में लाया गया है जो दो दशकों से बना हुआ है। जबकि हम

आई. टी. अधिनियम की धारा 194 एच के तहत अपने दायित्व के संदर्भ में गुण-दोष पर मूल्यांकनकर्ताओं की दलीलों को अस्वीकार करते हुए, हम इस बात पर उनके पक्ष में हैं कि मामले को स्पष्ट रूप से राजस्व तटस्थ कर दिया गया है। ट्रैवल एजेंटों द्वारा विचाराधीन राशि पर आयकर का भुगतान। निर्धारण अधिकारी को ऊपर निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार देय ब्याज निर्धारित करने के कार्य को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया जाता है, ताकि मुकदमेबाजी को शांत किया जा सके।

67. संक्षेप में, हम आंशिक रूप से अपीलों की अनुमति देते हैं।
68. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका निपटारा कर दिया जाता है।

अपीलों को

आंशिक रूप से अनुमति दी गई

निधि जैन (सहायकः शाश्वत जैन, एलसीआरए)